संख्या- 25/2017/2087/12-2-2017-60(3)/2016 टी0सी0

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागपत/गोण्डा/हापुड/झांसी/मुजफफरनगर/श्रावस्ती/आगरा/अमेठी/बिजनौर/कानपुर नगर/प्रतापगढ/सहारनपुर/सम्भल/औरैया/बलिया/बांदा/देवरिया/फतेहपुर/वाराणसी/बाराबंकी/चित्रकूट/फिरोजाबाद/गौतमबुद्धनगर/कौशाम्बी तथा सन्तकबीर नगर।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 21 जून, 2017

विषय- वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के खरीफ व रबी मौसम में प्रदेश में **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** को लागू किया जाना।

महोदय,

शासनादेश संख्या-8/2017/1231/12-2-2017-60(3)/2016 दिनांक 22 अप्रैल, 2017, शासनादेश संख्या-1541/12-2-2017-60(3)/2016 टी0सी0, दिनांक 19 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1626/12-2-2017-60(3)/2016 टी0सी0, दिनांक 19 मई, 2017 के क्रम में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के खरीफ व रबी मौसम में प्रदेश के उक्त जनपदों में निम्नलिखित प्राविधानानुसार प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को लागू किए जाने का मुझे निदेश हुआ है:-

1- योजना को भारत सरकार के अ०शा०पत्र संख्या: 13015/02/2015-क्रेडिट-।।, दिनांक 22 फरवरी, 2016 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों एवं प्रदेश सरकार के उक्त संदर्भित शासनादेश 22 अप्रैल, 2017 एवं शासनादेश दिनांक 19 मई, 2017 में निर्गत निर्देशों तथा समय-समय पर भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रदेश में संचालित किया जायेगा।

2- योजना में अधिसूचित क्षेत्र (ग्राम पंचायत) में अधिसूचित फसलों को निम्न जोखिमों से क्षति होने की स्थिति में फसल के उत्पादक कृषकों, जिनके द्वारा फसल का बीमा कराया गया है, को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी:-

(i) अधिसूचित क्षेत्र में प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों के कारण फसल की बुवाई न कर पाना/असफल बुवाई की स्थिति,

(ii) अधिसूचित क्षेत्र में फसल की बुवाई से कटाई की समयावधि में (खड़ी फसलों को) प्राकृतिक आपदाओं यथा सूखा अथवा शुष्क स्थिति, बाढ़, जलप्लावन, ओला, भूस्खलन, प्राकृतिक आग या आकाशीय बिजली, तूफान,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

चक्रवात व अन्य रोके न जा सकने वाले जोखिमों यथा रोगों, कृमियों आदि से फसल की क्षति की स्थिति,

(iii) व्यक्तिगत बीमित कृषक के स्तर पर खड़ी फसलों को स्थानिक आपदाओं- ओलावृष्टि, भू-स्खलन व जलप्लावन से फसल की क्षति की स्थिति,

(iv) व्यक्तिगत बीमित कृषक के स्तर पर फसल की कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी गयी कटी हुयी फसल को बेमौसम/ चक्रवाती वर्षा व चक्रवात से क्षति की स्थिति।

फसलों की दुर्भावनापूर्ण क्षति एवं अन्य रोके जा सकने वाले जोखिमों से क्षति को योजनान्तर्गत कवर नहीं किया गया है।

3- अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल को उगाने वाले सभी कृषक (बटाईदार व किराये पर खेती करने वाले कृषकों सहित) द्वारा सम्बन्धित वर्ष के <u>खरीफ मौसम में दिनांक **31 जुलाई** एवं रबी मौसम में दिनांक **31 दिसम्बर** की अन्तिम तिथि तक</u> प्रीमियम की कटौती कराते हुए निम्नवत योजना में सम्मिलित हुआ जा सकेगा:-

(i) ऋणी कृषक:-वित्तीय संस्थाओं-व्यवसायिक/ग्रामीण/सहकारी बैंक शाखाओं/ प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पैक्स) से मौसम विशेष में अधिसूचित फसलों हेतु अल्प कालीन कृषि प्रचालन ऋण लेने वाले समस्त ऋणी कृषकों को सम्बन्धित बैंक शाखा/संस्था द्वारा **अनिवार्य रूप से** योजना में कवर किया जायेगा।

(ii) गैर ऋणी कृषक:- अन्य सभी कृषक, जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं, द्वारा अपनी इच्छानुसार मौसम विशेष में अधिसूचित फसल का बीमा निकटतम् बैंक शाखा/क्रियान्वयन अभिकरण के मध्यस्थ अथवा अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से कराया जा सकेगा।

- गैर ऋणी कृषक द्वारा योजना में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित प्रस्ताव फार्म में सूचनायें अंकित करते हुए प्रीमियम की धनराशि को बैंक शाखा/ क्रियान्वयन अभिकरण के मध्यस्थ अथवा एजेन्ट, जो लागू हो, के पास आवश्यक अभिलेखीय साक्ष्यों (भू स्वामित्व अथवा बटाई अथवा किराये पर खेती की स्थिति में अनुबन्ध की प्रति, जो लागू हो आदि) के साथ जमा करना होगा। बैंक शाखा/क्रियान्वयन अभिकरण के मध्यस्थ अथवा एजेन्ट द्वारा प्रस्ताव फार्म में भरी गयी सूचना-बीमित फसल, बीमित क्षेत्र, बीमित राशि, प्रीमियम आदि की पुष्टि सुनिश्चित की जायेगी। कृषक का बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- गैर ऋणी कृषकों द्वारा वैकल्पिक रूप से अपने निकटतम बैंक शाखा अथवा बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेण्ट अथवा सीधे क्रियान्वयन अभिकरण को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्यक्तिगत रूप से/डाक द्वारा अथवा सीधे क्रियान्वयन अभिकरण के कार्यालय द्वारा भी फसलों का बीमा कराया जा सकेगा।

(iii) ऋणी अथवा गैर ऋणी कृषक द्वारा अग्रिम फसल बुवाई योजना (Advance Crop Planning) के आधार पर फसलों की वास्तविक बुवाई से पूर्व योजना में सम्मिलित हुआ जा सकेगा। यदि किसी कारण से कृषक द्वारा नियोजित फसल के स्थान पर कोई अन्य फसल बोई जाती है, तो ऐसी स्थिति में कृषक बीमा कराने की निर्धारित तिथि के 30 दिन तक की अवधि में सम्बन्धित बैंक/बीमा मध्यस्थ अथवा एजेण्ट/सीधे क्रियान्वयन अभिकरण को संशोधित फसल हेतु अतिरिक्त प्रीमियम (यदि आवश्यक हो) के साथ सूचित करते हुए फसल का बीमा कराया जा सकेगा। जिसका सत्यापन/पुष्टि स्वयं क्रियान्वयन अभिकरण के द्वारा किया जायेगा।

4- खरीफ व रबी मौसम में निम्न फसलों को ग्राम पंचायत स्तर पर फसल के 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल होने की स्थिति में अधिसूचित किया गया है:-

खरीफ - धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूँग, अरहर, मूंगफली, तिल व सोयाबीन।

रबी - गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों व आलू।

जनपदवार अधिसूचित फसल का विवरण **परिशिष्ट-1** में उल्लिखित है।

योजना के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों (ग्राम पंचायत) में अधिसूचित फसलों, जिनका बीमा कृषकों द्वारा कराया जा सकेगा, का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-1ए में दिया गया है। फसलों के अद्यतन आच्छादन के आधार पर **परिशिष्ट-1ए** में अधिसूचित क्षेत्र (ग्राम पंचायत) में खरीफ तथा रबी की अधिसूचित फसलों की सूची में आंशिक संशोधन हेतु निदेशक, कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश अधिकृत होंगे।

5- स्थानिक आपदाओं- ओलावृष्टि, भू-स्खलन व जलप्लावन तथा फसल की कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी गयी कटी हुयी फसल को बेमौसम/चक्रवाती वर्षा व चक्रवात से क्षति की स्थिति में **फसलों की क्षति का ऑकलन व्यक्तिगत बीमित फसल के उत्पादक कृषक के स्तर पर किया जायेगा।** योजना के अन्तर्गत उल्लिखित जोखिमों- प्रतिकूल मौसमीय परिस्थतियों के कारण फसल की बुवाई न कर पाना/असफल बुवाई की स्थिति तथा बुवाई से कटाई की समयावधि में खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं यथा सूखा अथवा शुष्क स्थिति, बाढ़, जलप्लावन, ओला, भूस्खलन, प्राकृतिक आग या आकाशीय बिजली, तूफान, चक्रवात व अन्य रोके न जा सकने वाले जोखिमों यथा रोगों, कृमियों आदि में **फसलों की क्षति का ऑकलन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जायेगा।**

6- योजना के संचालन हेतु क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में जनपदवार अधिकृत बीमा कम्पनियों का विवरण **परिशिष्ट-2** पर संलग्न है। बीमा कम्पनियों द्वारा अपने अधिकृत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यक्षेत्र के जनपदों में ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों की फसलों को बीमा कवर प्रदान किया जायेगा।

7- वर्ष 2017-18 व 2018-19 के खरीफ व रबी मौसम में अधिसूचित फसल हेतु इण्डेम्निटी स्तर, बीमित राशि, कुल प्रीमियम दर, कृषकों द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियम दर, प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले अंश का जनपदवार विवरण **परिशिष्ट- 3 व 4** में उल्लिखित है।

8- कृषकों से फसलों के प्रीमियम की धनराशि का एकत्रीकरण व क्रियान्वयन अभिकरण को प्रेषण हेतु निर्धारित समय-सारिणी:-

(i) ऋणी कृषक- वित्तीय संस्थाओं- व्यवसायिक/ग्रामीण बैंक शाखाओं/सहकारी बैंक शाखाओं/ प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पैक्स) द्वारा वर्ष 2017-18 व 2018-19 के सम्बन्धित खरीफ व रबी मौसम, जिसमें बीमा किया जा रहा है, में अधिसूचित फसलों हेतु स्वीकृत अल्प कालीन कृषि प्रचालन ऋण/नवीनीकृत ऋण (अधिसूचना के **परिशिष्ट-3 व परिशिष्ट-4** में फसलवार निर्धारित अधिकतम बीमित राशि तक) को खरीफ मौसम में 31 जुलाई एवं रबी मौसम में 31 दिसम्बर की अन्तिम तिथि तक कृषक के खाते से प्रीमियम की कटौती करते हुए योजना में अनिवार्य रूप से कवर किया जायेगा। वित्तीय संस्था द्वारा प्रीमियम की धनराशि हेतु अतिरिक्त ऋण स्वीकृत करते हुए अधिसूचित फसलों के लिए प्रीमियम की कटौती सुनिश्चित की जायेगी।

- प्रत्येक ऋणी कृषक हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, कृषक द्वारा बैंक में प्रस्तुत ऋण आवेदन फार्म में अधिसूचित फसल के लिए घोषित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) तथा अधिसूचना में परिशिष्ट-3 अथवा परिशिष्ट-4 में जनपद में फसल विशेष हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि के गुणनफल के बराबर होगी।
- किसान क्रेडिट कार्ड से अधिसूचित फसल के लिए वर्ष 2017-18 व 2018-19 के खरीफ व रबी मौसम की अवधि हेतु स्वीकृत ऋण (अधिसूचना के परिशिष्ट-3 व परिशिष्ट-4 में फसलवार निर्धारित अधिकतम बीमित राशि तक) को खरीफ मौसम में 31 जुलाई तथा रबी मौसम में 31 दिसम्बर की अन्तिम तिथि तक वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषक के खाते से प्रीमियम की कटौती करते हुए **अनिवार्य रूप से** कवर किया जायेगा।
- व्यवसायिक बैंक शाखा/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा, जिसके स्तर पर फसली ऋण स्वीकृत किया गया है, फसल बीमा के सम्बन्ध में मासिक फसलवार तथा बीमा इकाई क्षेत्रवार (ग्राम पंचायतवार) ब्यौरे का विवरण निर्धारित प्रारूप-घोषणा-पत्र, बीमा शुल्क सहित तैयार करेगी तथा खरीफ मौसम में दिनांक **31 जुलाई** एवं रबी मौसम में दिनांक **31 दिसम्बर** की समाप्ति के **15 कैलेण्डर दिन** के अन्दर जनपद के क्रियान्वयन अभिकरण को सीधे उपलब्ध करायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

- पैक्स, जिसके स्तर पर फसली ऋण स्वीकृत किया गया है, फसल बीमा के सम्बन्ध में मासिक फसलवार तथा बीमा इकाई क्षेत्रवार-ग्राम पंचायतवार ब्यौरे का विवरण (घोषणा-पत्र), बीमा शुल्क सहित तैयार करेगी तथा खरीफ मौसम में दिनांक **31 जुलाई** एवं रबी मौसम में दिनांक **31 दिसम्बर** की समाप्ति के **15 कैलेण्डर दिन** के अन्दर जिला सहकारी बैंक को उपलब्ध करायेगी। जिला सहकारी बैंक द्वारा अपने स्तर पर एवं पैक्स से प्राप्त घोषणा-पत्र व बीमा शुल्क को समेकित कर, प्राप्त होने के **07 कैलेण्डर दिन** के अन्दर जनपद के क्रियान्वयन अभिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) गैर ऋणी कृषक- अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के उत्पादक गैर ऋणी कृषक, जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं, द्वारा सम्बन्धित वर्ष के खरीफ मौसम में दिनांक 1 अप्रैल से 31 जुलाई एवं रबी मौसम में दिनांक 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर की अवधि में परिशिष्ट-3 व परिशिष्ट-4 में फसलवार उल्लिखित बीमित राशि का बीमा निकटतम् बैंक शाखा अथवा क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकृत एजेन्ट अथवा सीधे क्रियान्वयन अभिकरण को व्यक्तिगत रूप से/डाक द्वारा अथवा क्रियान्वयन अभिकरण के कार्यालय के माध्यम से फसलों का बीमा कराया जा सकेगा।

- प्रत्येक गैर ऋणी कृषक हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, कृषक द्वारा प्रस्ताव फार्म में अधिसूचित फसल के लिए घोषित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) तथा अधिसूचना में परिशिष्टि-3 अथवा परिशिष्ट-4 में जनपद में फसल विशेष हेतु प्रति हेक्टेयर बीमित राशि के गुणनफल के बराबर होगी।
- व्यवसायिक/ग्रामीण/सहकारी बैंक शाखा, जिसके स्तर पर गैर ऋणी कृषक की फसल का बीमा किया गया है, फसल बीमा के सम्बन्ध में मासिक फसलवार तथा बीमा इकाई क्षेत्रवार ब्यौरे का विवरण (घोषणा-पत्र), बीमा शुल्क सहित तैयार किया जायेगा तथा सम्बन्धित वर्ष के खरीफ मौसम में दिनांक **31 जुलाई** एवं रबी मौसम में दिनांक **31 दिसम्बर** की समाप्ति के **07 कैलेण्डर दिन के अन्दर जनपद** के क्रियान्वयन अभिकरण को सीधे उपलब्ध कराया जायेगा।
- पैक्स, जिसके स्तर पर गैर ऋणी कृषक की फसल का बीमा किया गया है, द्वारा फसल बीमा के सम्बन्ध में मासिक फसलवार तथा बीमा इकाई क्षेत्रवार ब्यौरे का विवरण (घोषणा-पत्र), बीमा शुल्क सहित तैयार किया जायेगा तथा खरीफ मौसम में दिनांक **31 जुलाई** एवं रबी मौसम में दिनांक **31 दिसम्बर** की समाप्ति के **07 कैलेण्डर** दिन के अन्दर जिला सहकारी बैंक को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला सहकारी बैंक द्वारा अपने स्तर पर एवं पैक्स से प्राप्त घोषणा-पत्र व बीमा शुल्क को समेकित कर **07 कैलेण्डर दिन** के अन्दर जनपद की क्रियान्वयन अभिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकृत एजेण्ट द्वारा गैर ऋणी कृषकों के प्रस्ताव फार्म सहित घोषणा-पत्र व समेकित बीमा शुल्क को **07 कैलेण्डर** दिन के अन्दर जनपद के क्रियान्वयन अभिकरण को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

(iii) क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा सम्बन्धित वर्ष के खरीफ व रबी मौसम में निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात बैंकों से प्राप्त घोषणा पत्र व प्रीमियम की धनराशि स्वीकार नहीं की जायेगी एवं इसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित बैंक शाखा का होगा। अत: बैंक शाखा-व्यवसायिक/ग्रामीण/सहकारी/पैक्स सम्बन्धित वर्ष के खरीफ मौसम में दिनांक **31 जुलाई** एवं रबी मौसम में दिनांक **31 दिसम्बर** की निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात कृषकों से फसल बीमा के अन्तर्गत प्रीमियम की धनराशि को स्वीकार न करें।

(iv) क्रियान्वयन अभिकरण को प्रीमियम व घोषणा पत्र प्रेषित किये जाने की निर्धारित अन्तिम तिथि के **15** दिन के अन्दर बैंक शाखाओं/जिला सहकारी बैंक (पैक्स की स्थिति में) द्वारा ऋणी एवं गैर ऋणी बीमित कृषकों का पूर्ण विवरण यथा कृषक का नाम, पिता का नाम, बैंक खाता संख्या, गाँव का नाम, कृषक श्रेणी-लघु व सीमान्त/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला, बीमित फसल, खसरा नम्बर, बीमित क्षेत्र, बीमित राशि, कृषक प्रीमियम, प्रीमियम पर अनुदान, मोबाइल नम्बर आदि साफ्टकापी में जनपद के क्रियान्वयन अभिकरण को प्रेषित की जायेगी तथा विवरण को भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा। बैंक शाखाओं/जिला सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि फसल बीमा पोर्टल पर निर्धारित प्रोफार्मे में फसल बीमा से सम्बन्धित सूचनाओं को समय से अपलोड करें।

(v) सभी बैंक शाखाओं/जिला सहकारी बैंक शाखाओं द्वारा क्रियान्वयन अभिकरण को इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि बैंक स्तर से अधिसूचित फसलों हेतु प्रीमियम की कटौती फसल बीमा की अधिसूचना में निर्गत निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार की गयी है एवं बैंक द्वारा योजनान्तर्गत सभी पात्र ऋणी कृषकों को फसल बीमा योजना में कवरेज प्रदान किया गया है। इस प्रमाण-पत्र के साथ बैंक शाखाओं/नोडल बैंक शाखाओं द्वारा प्रीमियम की समेकित धनराशि को जनपद के क्रियान्वयन अभिकरण को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया जायेगा।

(vi) बैंक शाखाओं/जिला सहकारी बैंक (पैक्स की स्थिति में) द्वारा प्रस्तर-**8-(iv)** में की गयी अपेक्षा के क्रम में फसल बीमा पोर्टल पर विवरण को अपलोड करने में जनपद के क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा सम्बन्धित बैंकों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भारत सरकार द्वारा बनाये गये फसल बीमा पोर्टल पर योजना सम्बन्धित सूचनाओं को अपलोड करने में बैंक/बीमा कम्पनी/विभाग स्तर पर आ रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में भारत सरकार के हेल्पलाइन ई-मेल आई-डी **help.agri_insurance@gov.in** पर अपनी जिज्ञासाओं को मेल करते हुए समस्याओं/कठिनाइयों का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

(vii) बीमा प्रस्ताव प्राप्त होने के सामान्यतया एक माह की अवधि में अपूर्ण घोषणा-पत्र/बीमा से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख के न होने/निर्धारित प्रीमियम की धनराशि न जमा करने/आवश्यक प्रमाण पत्र न जमा करने आदि की स्थिति में जनपद के क्रियान्वयन अभिकरण को बीमा प्रस्ताव स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा। बीमा प्रस्ताव अस्वीकार होने की स्थिति में जनपद के क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा प्राप्त प्रीमियम को तत्काल सम्बन्धित बैंक शाखा को वापस कर दिया जायेगा।

(viii) समस्त बैंकों द्वारा अपने अधीनस्थ बैंक शाखाओं/नोडल बैंक शाखाओं द्वारा अधिसूचित फसलवार स्वीकृत ऋण सीमा के सापेक्ष कुल बीमित राशि की समीक्षा की जायेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत सभी पात्र कृषकों का बीमा अधीनस्थ बैंक शाखाओं द्वारा किया गया है।

<u>यदि नोडल बैंक/शाखा/पैक्स की गलतियों/विलोपनों/कमीशन के कारण किसान फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित रहता है, तो योजना के प्राविधानानुसार सम्बन्धित संस्थाऐं ही कृषकों की ऐसी हानियों की भरपाई सुनिश्चित करेंगी।</u>

9- योजना में जोखिमवार फसलों की क्षति के आंकलन हेतु निर्धारित प्रक्रिया व समयसीमा- क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा जोखिमवार फसलों की क्षति के आंकलन हेतु निम्नलिखित निर्धारित की गयी प्रक्रिया व समयसीमा का अनुपालन करते हुए नियमानुसार बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगीः-

(i) प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से फसलों की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई के जोखिम की स्थिति में अधिसूचित फसलों की क्षति का आंकलन बीमा इकाई-ग्राम पंचायत स्तर पर किया जायेगा। ग्राम पंचायत में 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से कृषकों द्वारा अधिसूचित फसलों की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति में जनपद के जिलाधिकारी/उप कृषि निदेशक कार्यालय के क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत विभागीय कार्मिकों की पुष्टि के आधार पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों (ग्रामपंचायत में प्रभावित फसल) की सूचना क्रियान्वयन अभिकरण को दी जायेगी। जिलाधिकारी/उप कृषि निदेशक कार्यालय से सूचना प्राप्त होने पर क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा जिलाधिकारी/उप कृषि निदेशक कार्यालय से प्राथमिकता पर सम्पर्क स्थापित कर इस आपदा प्रभावित क्षेत्रों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ग्रामपंचायत) में क्षेत्रवार बुवाई विफलता प्रतिशत का विवरण प्राप्त किया जायेगा एवं क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा बीमित राशि के 25 प्रतिशत तक की क्षतिपूर्ति का आंकलन निम्नलिखित फार्मूले से किया जायेगा:-

क्षतिपूर्ति = बीमित राशि X बुवाई विफलता % X 25%

क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा जोखिम की सूचना प्राप्त होने के **30 कैलेण्डर दिन** के अन्दर कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। इस प्राविधान के अन्तर्गत बीमा लाभ प्राप्त होने के पश्चात कृषकों का बीमा कवरेज समाप्त माना जायेगा एवं बीमित कृषकों को योजना का आगे कोई लाभ देय नहीं होगा। इस प्राविधान के अन्तर्गत बीमा लाभ देय होने की स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा सम्बन्धित ग्रामपंचायत के समस्त बैंकों को सूचित किया जायेगा कि बैंक द्वारा सम्बन्धित ग्रामपंचायत में फसल विशेष के उत्पादक कृषकों को आगे कोई कवरेज प्रदान नहीं किया जायेगा।

(ii) फसल बुवाई से कटाई की अवधि में खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं-सूखा अथवा शुष्क स्थिति] बाढ़] जलप्लावन, ओला] भूस्खलन] प्राकृतिक आग या आकाशीय बिजली] तूफान] चक्रवात एवं रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों-रोगों] कृमियों आदि से बीमित फसल की उपज में कमी की स्थिति में फसलों की क्षति का आंकलन बीमा इकाई-ग्राम पंचायत स्तर पर किया जायेगा। मौसम के अंत में बीमा इकाई स्तर पर निर्धारित संख्या में सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आँकड़ों के आधार पर क्षतिपूर्ति का आंकलन निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार किया जायेगा:-

$$\text{क्षतिपूर्ति} = \frac{\text{गारन्टीड उपज} - \text{वास्तविक उपज}}{\text{गारन्टीड उपज}} \times \text{बीमित राशि}$$

गारण्टीड उपज = बीमा इकाई में फसल की विगत 7 वर्षों) अधिकतम 2 आपदा वर्षों की उपज को छोड़कर (की औसत उपज X इण्डेम्निटी स्तर।

इण्डेम्निटी स्तर= अधिक व कम जोखिम के अनुरूप जनपद स्तर पर फसलवार 80 प्रतिशत अथवा 90 प्रतिशत इण्डेम्निटी स्तर निर्धारित किया गया है।

प्रदेश में खरीफ 2014 एवं रबी 2014-15 आपदा प्रभावित मौसम होने के कारण इन मौसमों में फसल की औसत उपज को गारन्टीड उपज के निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इस प्रकार बीमा इकाई क्षेत्र-ग्राम पंचायत में फसल विशेष की गारन्टीड उपज के निर्धारण में खरीफ 2014 अथवा रबी 2014-15 में फसल की औसत उपज को छोडकर विगत शेष 06 मौसम में फसल की औसत उपज के आधार पर गारन्टीड उपज का निर्धारण किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिसूचित प्रत्येक फसल पर **04** फसल कटाई प्रयोग (फसल मूँगफली हेतु आठ फसल कटाई प्रयोग) के आधार पर फसल की वास्तविक उपज का ऑकलन योजना के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। जिस ग्राम पंचायत में **04** फसल कटाई प्रयोग (फसल मूँगफली हेतु आठ फसल कटाई प्रयोग) सम्पादित नहीं हो सकेंगे] ऐसी स्थिति में उस ग्राम पंचायत हेतु विभाग द्वारा ग्राम पंचायत से उच्च स्तर के फसल के उपज के ऑकडे क्रियान्वयन अभिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा फसल की इस प्रकार प्राप्त उपज के ऑकडों के आधार पर योजना के प्राविधानानुसार फसल की क्षतिपूर्ति का आंकलन करते हुए बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।
- फसल कटाई प्रयोगों की गुणवत्ता व विश्वसनीयता सुनिश्चित कराये जाने हेतु फसलों की कटाई स्तर पर जॉच सुनिश्चित करायी जाती है। फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन एवं सम्पादन की प्रक्रिया की जनपद के क्रियान्वयन अभिकरण के प्रतिनिधि द्वारा अवलोकन किया जा सकेगा। जनपद स्तर पर राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागीय कार्मिकों द्वारा क्रियान्वयन अभिकरण को इस सम्बन्ध में यथा-आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- प्रदेश के राजस्व विभाग के क्षेत्रीय कार्मिकों&लेखपाल/राजस्व निरीक्षक द्वारा अधिसूचित फसलों पर आयोजित किये जा रहे फसल कटाई प्रयोगों के सम्पादन के समय स्मार्टफोन का प्रयोग करते हुए फसल कटाई की प्रक्रिया का चित्र, कटाई हेतु चयनित खेत की भू-स्थिति, भारत सरकार द्वारा फसल कटाई प्रयोगों हेतु बनाये गये एप्प पर फसल कटाई प्रयोगों से सम्बन्धित सूचनाओं को अपलोड करते हुए भारत सरकार के केन्द्रीयकृत सर्वर) भुवन सर्वर (पर प्रेषित किया जायेगा।
- क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा निदेशक, कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा] उत्तर प्रदेश कार्यालय से अधिसूचित फसलों के उपज के आंकड़े प्राप्त होने के 03 सप्ताह 21) कैलेण्डर दिन (के अन्दर कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण व भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii)स्थानिक आपदाओं-ओला, भूस्खलन] जलप्लावन के जोखिमों से फसल की उपज में कमी की स्थिति अथवा फसल की कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों की अवधि तक खेत में कटी हुई फसलों को चक्रवाती /बेमौसम वर्षा, चक्रवात के जोखिमों से उपज में कमी की स्थिति में फसलों की क्षति का आंकलन व्यक्तिगत बीमित कृषक के स्तर पर किया जायेगा। बीमित कृषक द्वारा आपदा के 48 घंटे के अंदर स्वयं जनपद के क्रियान्वयन अभिकरण को बीमित फसल का नाम व प्रभावित खेत के खसरा संख्या के विवरण के साथ सूचित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बीमित कृषक के व्यक्तिगत दावे को सम्बन्धित बैंक शाखा, जहॉ से कृषक द्वारा बीमा कराया गया है अथवा जनपद के कृषि विभाग के किसी भी स्तर के अधिकारी/अन्य विभाग के जनपदीय अधिकारी/कृषक समुदायों/ग्राम प्रधान/क्षेत्र पंचायत सदस्य आदि के माध्यम से आपदा के 48 घंटे के अंदर बीमित फसल का नाम व प्रभावित खेत के खसरा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या के विवरण के साथ जनपद के क्रियान्वयन अभिकरण को अग्रसारित किया जा सकता है, जिसे क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा तत्काल संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। कृषक द्वारा अपने दावे की पुष्टि में स्मार्टफोन से फसल की दशा से सम्बन्धित चित्र, स्थानीय समाचार पत्रों में फसल की क्षति की रिपोर्ट के साथ दावा प्रपत्र के सभी कालम में विवरण अंकित करते हुए जनपद के क्रियान्वयन अभिकरण को 48 घंटे के अंदर प्रेषित किया जा सकता है। दावा प्रपत्र में अपेक्षित सूचनायें उपलब्ध/स्पष्ट न होने की स्थिति में जनपद के क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा अपने कार्मिक/अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से सूचनायें पूर्ण कराकर समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

जनपद के क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा जनपद स्तर के कृषि विभाग के कार्यालयों, तहसील कार्यालय, ब्लाक कार्यालय आदि पर व्यक्तिगत कृषक हेतु दावा प्रपत्र पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जायेगा तथा कृषकों के मध्य इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

फसलों की क्षति के समयबद्ध आंकलन एवं कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु जनपद के क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में स्थानिक आपदाओं एवं फसल की कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों की अवधि तक खेत में कटी हुई फसलों को उल्लिखित जोखिमों से क्षति की सूचना प्राप्त होने के 48 घंटे के अंदर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में निर्धारित योग्यता के अनुरूप पर्याप्त संख्या में सर्वेयर की नियुक्ति सुनिश्चित करायी जायेगी।

क्रियान्वयन अभिकरण को फसलों की क्षति की सूचना प्राप्त होने के 10 कैलेण्डर दिन के अन्दर सर्वेयर द्वारा फसलों की क्षति का आंकलन आपदा की स्थिति तक फसल के उत्पादन लागत में हुए व्यय के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा एवं अगले 15 कैलेण्डर दिन के अन्दर क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

स्थानिक आपदाओं -ओला] भूस्खलन, जलप्लावन के जोखिमों से फसल की उपज में कमी की स्थिति अथवा फसल की कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों की अवधि तक खेत में कटी हुई फसलों को बेमौसम/चक्रवाती वर्षा] चक्रवात के जोखिमों से ग्रामपंचायत में 25 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में फसलों की क्षति की सूचना प्राप्त होने पर जनपद के जिलाधिकारी द्वारा राजस्व] कृषि विभाग एवं जनपद के क्रियान्वयन अभिकरण के प्रतिनिधियों की संयुक्त समिति का गठन किया जायेगा। समिति द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में रैण्डम सर्वेक्षण करते हुए फसल की क्षति के प्रतिशत का निर्धारण किया जायेगा जिसके आधार पर जनपद के क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा कृषकों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी। उपरोक्त स्थिति में अधिसूचित फसल के उत्पादक कृषक] जिनके द्वारा फसल का बीमा कराया गया है एवं 48 घंटे के अंदर स्वयं क्रियान्वयन अभिकरण को सूचित किया है अथवा सम्बन्धित बैंक शाखा, जहॉ से कृषक द्वारा फसल का बीमा कराया गया है अथवा जनपद के कृषि विभाग के किसी भी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्तर के अधिकारी/अन्य विभाग के जनपदीय अधिकारी/कृषक समुदायों /ग्राम प्रधान/क्षेत्र पंचायत सदस्य आदि के माध्यम से आपदा के 48 घंटे के अंदर जनपद के क्रियान्वयन अभिकरण को सूचित किया गया है, नियमानुसार क्षतिपूर्ति के पात्र होंगे।

अधिकृत क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा स्थानिक आपदाओं -ओला, भूस्खलन, जलप्लावन के जोखिमों से फसल की उपज में कमी की स्थिति अथवा फसल की कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों की अवधि तक खेत में कटी हुई फसलों को बेमौसम/चक्रवाती वर्षा, चक्रवात के जोखिमों के अन्तर्गत बीमित कृषकों को व्यक्तिगत दावा को आपदा के 48 घंटे के अंदर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया व दावा प्रपत्र के प्रारूप का अपने कार्यक्षेत्र के सभी जनपदों में क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार, स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन, बैंक शाखाओं के स्तर पर, जनपद स्तरीय बैठकों/गोष्ठियों में हैण्ड बिल आदि के माध्यम से अधिसूचना जारी होने के 15 कैलेण्डर दिन के अन्दर सुनिश्चित कराया जायेगा।

नोट :स्थानिक आपदाओं-ओला, भूस्खलन] जलप्लावन के जोखिमों से फसल की उपज में कमी की स्थिति अथवा फसल की कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों की अवधि तक खेत में कटी हुई फसलों को चक्रवाती /बेमौसम वर्षा, चक्रवात के जोखिमों से उपज में कमी की स्थिति में आपदा की स्थिति तक फसल के उत्पादन लागत में व्यय के अनुरूप फसलों की क्षति का आंकलन **परिशिष्ट-7 व परिशिष्ट-8** में फसल की बुवाई से कटाई की पूर्णसमयावधि में विभिन्न चरणों में उत्पादन लागत में दर्शाये गये व्यय के अनुरूप क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा निर्धारित करते हुए बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।

(iv) अधिसूचित फसलों की मध्य अवस्था तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से बीमा इकाई क्षेत्र - ग्रामपंचायत स्तर पर फसल की सम्भावित उपज सामान्य उपज) गारण्टीड उपज (से50 % कम होने की स्थिति में कम्पनी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में सम्भावित क्षतिपूर्ति के अधिकतम्25 % तक तात्कालिक सहायता के रूप में आंशिक क्षतिपूर्ति निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर प्रदान की जायेगी-:

$$\text{क्षतिपूर्ति} = \frac{\text{(गारन्टीड उपज-सम्भावित उपज)}}{\text{गारन्टीड उपज}} \times \text{बीमित राशि} \times 25\ \%$$

इस स्थिति में जनपद के जिलाधिकारी/उप कृषि निदेशक कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत विभागीय कार्मिकों से पुष्टि के आधार पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फसलों की क्षति की सूचना को आपदा के **07 कैलेण्डर दिन** के अन्दर जनपद के क्रियान्वयन अभिकरण को उपलब्ध कराते हुए जनपद में राजस्व, कृषि विभाग एवं क्रियान्वयन अभिकरण के प्रतिनिधियों की संयुक्त समिति का गठन किया जायेगा। समिति द्वारा आपदा के **15 कैलेण्डर दिन** के अन्दर प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त सर्वेक्षण कर फसलों की क्षति का आंकलन सुनिश्चित किया जायेगा। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा आपदा की सूचना प्राप्त होने के **30 कैलेण्डर दिन** के अन्दर कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सुनिश्चित किया जायेगा। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा तात्कालिक सहायता के रूप में भुगतान की गयी आंशिक क्षतिपूर्ति की धनराशि को मौसम के अन्त में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर फसल की ऑकलित कुल देय क्षतिपूर्ति की धनराशि में समायोजित किया जायेगा।

(v) **क्षतिपूर्ति के भुगतान की प्रक्रिया**-स्थानिक आपदाओं एवं फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि में फसल के नष्ट होने की निर्धारित परिस्थितियों को छोड़कर क्षतिपूर्ति के लिए कृषकों को व्यक्गित दावा प्रस्तुत करना नहीं होगा। बैंक/पैक्स से बीमा कराने की स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर करते हुए क्षतिपूर्ति के पूर्ण विवरण को हार्डकापी में सम्बन्धित बैंक शाखा/जिला सहकारी बैंक (पैक्स की स्थिति में) को प्रेषित किया जायेगा। जिला सहकारी बैंक द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि को क्रियान्वयन अभिकरण से प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित पैक्स को उपलब्ध कराया जायेगा। बैंक शाखा/पैक्स द्वारा अपने स्तर पर क्षतिपूर्ति की धनराशि को क्रियान्वयन अभिकरण से प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित कृषक के बैंक के खाते में जमा कराते हुए पुष्टि हेतु उपभोग प्रमाण पत्र क्रियान्वयन अभिकरण को **15** दिन के अन्दर प्रेषित किया जायेगा। बैंक/पैक्स द्वारा लाभार्थी कृषकों की सूची बैंक शाखा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी।

क्रियान्वयन अभिकरण के एजेन्ट/मध्यस्थ के माध्यम से बीमा कराने की स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के रूप में सीधे कृषक के बैंक के खाते में किया जायेगा।

10. **प्रीमियम की कटौती की रसीद** -क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा बैंकों से प्रीमियम की धनराशि व घोषणा पत्र प्राप्त होने के **45 कैलेण्डर दिन** के अन्दर सम्बन्धित बैंक शाखाओं को बीमा कवरेज की स्थिति से अवगत कराया जायेगा, ताकि बैंक शाखा द्वारा तत्क्रम में कृषकों को प्रीमियम की कटौती की रसीद निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जा सके।

11. **एस0एम0एस0 के माध्यम से कृषकों को सूचित करना**- बीमित कृषक को तीन चरणों में एस0एम0एस0 के माध्यम से अनिवार्य रूप से बीमा कवरेज व क्षतिपूर्ति की स्थिति से सूचित किया जायेगा। प्रथम चरण में बैंक शाखा स्तर पर प्रीमियम की कटौती होते ही बीमित कृषक को सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा एस0एम0एस0 किया जायेगा। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा घोषणा पत्र प्राप्त होने के बाद द्वितीय चरण में बीमित फसल, बीमित क्षेत्र, बीमित धनराशि व प्रीमियम की धनराशि के विवरण तथा तृतीय चरण में क्षतिपूर्ति की स्थिति से कृषक को एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

12 **जनपद स्तर पर कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। उप कृषि निदेशक** जनपद स्तर पर बैंकों, क्रियान्वयन अभिकरण एवं राजस्व विभाग के समन्वय से फसल बीमा योजनाओं के सफलतापूर्वक व समयबद्ध संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे।

13- **क्रियान्वयन अभिकरण के कार्यालय की स्थापना व कार्मिकों की नियुक्ति, बीमा एजेन्ट/मध्यस्थ की नियुक्ति व नियुक्त कार्मिकों/बीमा मध्यस्थ द्वारा किये जाने वाले कार्य** -

- क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा प्रदेश स्तर पर कार्यालय स्थापित करते हुए सक्षम स्तर के पूर्णकालिक अधिकारी व कार्मिकों की नियुक्ति राज्य सरकार की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि के **30 कैलेण्डर दिन के अन्दर** सुनिश्चित की जायेगी। क्रियान्वयन अभिकरण के प्रदेश कार्यालय स्तर पर फसल बीमा से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं का अपडेटेड पूर्ण डाटा बैंक तैयार कर रखा जायेगा। इन सूचनाओं को प्रदेश शासन व निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश को नियमित रूप से एवं मॉगे जाने पर उपलब्ध कराया जायेगा। क्रियान्वयन अभिकरण के प्रदेशीय प्रमुख द्वारा प्रदेश शासन, राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों व बैंकों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा समय-समय पर फसल बीमा योजनाओं के सम्बन्ध में आहूत बैठकों में प्रतिभाग किया जायेगा।
- क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से **30कैलेण्डर दिन के अन्दर** अपने कार्यक्षेत्र के प्रत्येक जनपदों में कम्पनी का कार्यालय स्थापित करते हुए सक्षम अधिकारी की नियुक्ति तथा प्रत्येक ब्लाक स्तर पर गैर ऋणी कृषकों की भागीदारी हेतु बीमा एजेन्ट/मध्यस्थ की नियुक्ति सुनिश्चित की जायेगी।
- क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा प्रदेश व जनपद स्तर पर स्थापित कार्यालय/नियुक्त अधिकारी व बीमा मध्यस्थ का पूर्ण विवरण निम्न प्रारूप पर निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश एवं जनपद के उप कृषि निदेशक को नियुक्ति के पश्चात् अधिकतम **07 कैलेण्डर दिन** के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी-

क्र०सं०	मद	कार्यालय का पता] फैक्स] ई-मेल व फोन नं०	क्रियान्वयन अभिकरण के नियुक्त अधिकारी का पूर्ण विवरण		
			कुल संख्या	नाम	मोबाइल/ई-मेल नं०
1	प्रदेश स्तर				
2	जनपद स्तर				
3	ब्लाक स्तर पर नियुक्त बीमा मध्यस्थ				

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

- क्रियान्वयन अभिकरण के जनपद स्तर के कार्मिक द्वारा जनपद में समय-समय पर फसल बीमा योजनाओं के सम्बन्ध में आहूत बैठकों में पूर्ण व अद्यतन सूचनाओं के साथ प्रतिभाग किया जायेगा। इन कार्मिकों द्वारा जनपद में फसलों के वास्तविक व बीमित क्षेत्र में विसंगति के निराकरण हेतु सर्वेक्षण] फसल कटाई प्रयोगों के कटाई स्तर पर अवलोकन व उपज के आँकड़ों में विसंगति के निराकरण, स्मार्टफोन के माध्यम से भारत सरकार के पोर्टल पर फसल कटाई प्रयोगों से सम्बन्धित सूचनाओं/आँकड़ों को अपलोड किया जाना, योजना का व्यापक व प्रभावी प्रचार-प्रसार, गैर ऋणी कृषकों की भागीदारी आदि समस्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- जनपद के उप कृषि निदेशक जनपद के क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति की प्रत्येक माह बैठक सुनिश्चत करायेंगे। क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकारी/उप कृषि निदेशक यथा आवश्यकतानुसार जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति की बैठक आहूत कराते हुए ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों की भागीदारी, बैंकों द्वारा त्रुटिरहित घोषणा पत्रों का समय से जनपद के क्रियान्वयन अभिकरण को प्रेषण, योजना में कवर किये गये जोखिमों के सम्बन्ध में संयुक्त समिति का गठन करते हुए फसलों की क्षति का समय से आंकलन, आंशिक/पूर्ण क्षतिपूर्ति का भुगतान, बीमित फसलों के क्षेत्रफल विसंगति के सम्बन्ध में समिति गठित करते हुए प्रभावित क्षेत्रों में सैम्पुल सर्वेक्षण कर क्षेत्रफल विसंगति का निराकरण] फसल कटाई प्रयोगों से सम्बन्धित समस्त समस्याओं का समाधान, क्षतिपूर्ति की धनराशि को बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए कृषकों के खातों में निर्धारित अवधि में जमा कराना, योजना के जनपद स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन में समय-समय पर आ रही सभी कठिनाइयों का निराकरण आदि समस्त कार्यवाहियों को जनपद स्तर पर सुनिश्चित कराया जायेगा।
- क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के सभी जनपदों में बैकों से समन्वय स्थापित करते हुए अधिसूचित फसलों के सभी ऋणी कृषकों को अनिवार्य आधार पर एवं गैर ऋणी कृषकों को योजना में स्वैच्छिक आधार पर कवरेज प्रदान करने, प्रीमियम की धनराशि एवं त्रुटिरहित घोषणा पत्र को बैंकों से समय से क्रियान्वयन अभिकरण को उपलब्ध कराये जाने हेतु सभी प्रयास किया जायेगा ताकि प्रतिभाग करने हेतु सभी इच्छुक/पात्र कृषकों का योजना में कवरेज सुनिश्चित हो सके।

14- फसल के बीमित क्षेत्र एवं वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल में विसंगति का निराकरण - अधिसूचित फसलों के अन्तर्गत बीमित किये जा रहे क्षेत्रफल एवं फसल के वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल में विसंगति के निराकरण हेतु क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा निम्नवत् कार्यवाही कर कृषकों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगीः-

(i) जनपद में फसल के बीमित किये जा रहे क्षेत्रफल एवं फसल के वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल में विसंगति की स्थिति को क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा जिलाधिकारी की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति के संज्ञान में समय से लाया जायेगा। वर्तमान मौसम में फसल के वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल की उपलब्धता न होने की स्थिति में फसल विशेष के विगत वर्षों के क्षेत्रफल का उपयोग किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा विसंगति के निराकरण हेतु जनपद के कृषि, राजस्व व क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकारी/प्रतिनिधि की संयुक्त टीम गठित की जायेगी। इस टीम द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण करते हुए क्षेत्र विशेष में फसल के अन्तर्गत वास्तविक क्षेत्रफल में विसंगति होने की स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा भारत सरकार की दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार विसंगति के निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(ii) क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा अधिसूचित फसल के अन्तर्गत बीमित क्षेत्रफल एवं फसल के वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल में विसंगति का प्रत्येक दशा में अन्तिम रूप से निराकरण प्रीमियम पर अनुदान मद में राज्यांश की अन्तिम मांग निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र 0को प्रस्तुत करने से पूर्व अथवा फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर फसल के उपज के ऑकडे विभाग के स्तर से क्रियान्वयन अभिकरण को उपलब्ध कराये जाने के पूर्व, जो पहले हो, अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा। राज्यांश की अन्तिम मांग निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र 0कार्यालय को प्रस्तुत करने के पश्चात क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा Acreage Discrepancy के अन्तर्गत कार्यवाही मान्य नहीं होगी।

15- राज्यांश की मांग-

(i) क्रियान्वयन अभिकरण की राज्यांश की समस्त मॉग के भुगतान हेतु कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश अधिकृत होंगे। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत बजटीय स्वीकृति में से वर्तमान वर्ष में राज्यांश की देयता के साथ-साथ विगत वर्ष में फसल बीमा योजनान्तर्गत राज्यांश की अवशेष देयताओं का भुगतान कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश से अनुमोदन प्राप्त कर सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में योजना की अद्यतन प्रगति के आधार पर 50 प्रतिशत तक राज्यांश की माँग अग्रिम के रूप में योजनावार खरीफ मौसम में **दिनांक 31 जुलाई** एवं रबी मौसम में दिनांक **31 दिसम्बर** के पश्चात प्राथमिकता पर निदेशक, कृषि सांख्यकी एवं फसल बीमा उ0प्र0 कार्यालय को अद्यतन प्रगति विवरण के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

(iii) क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा बैकों से प्रीमियम व घोषणा पत्र प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि के **30 कैलेण्डर दिन** के अंदर अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में योजनावार अधिसूचित बीमा ईकाई क्षेत्रवार व बीमित कृषकवार बीमा की प्रगति विवरण को अंतिम रूप देते हुए **एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि0** के माध्यम से प्रीमियम पर अनुदान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मद में राज्यांश की मांग को निदेशक, कृषि सांख्यकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश कार्यालय को समस्त सूचनाओं/विवरण के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(iv) क्रियान्वयन अभिकरण को प्रत्येक मौसम में कुल देय राज्यांश के **5** प्रतिशत धनराशि को राज्य सरकार द्वारा मौसम विशेष में कृषकों को देय समस्त क्षतिपूर्ति का भुगतान क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् जारी किया जायेगा। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा इस आधार पर कृषकों को योजनान्तर्गत किसी भी प्रकार की देय क्षतिपूर्ति को लम्बित नहीं रखा जायेगा।

(v) क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा राज्यांश की मांग के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा कि प्रस्तुत की जा रही मांग सम्बन्धित मौसम में अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल मात्र के लिए ही प्रस्तुत की जा रही है तथा कृषकों द्वारा क्षेत्र विशेष में अधिसूचित फसल हेतु मात्र एक बार ही बीमा कवरेज प्रदान किया गया है। कृषक द्वारा अपने खेत में बोई गयी फसल का दो बार बीमा कराने की स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण को अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित कृषक के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए बीमा क्षतिपूर्ति का भुगतान न करे। ऐसी स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा कृषक द्वारा जमा कराये गये प्रीमियम अंश को वापस नहीं किया जायेगा। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की गयी मांग में किसी भी विगसंति हेतु सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होगी। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा यह भी घोषित किया जायेगा कि राज्यांश के रूप में जितनी धनराशि की मांग राज्य सरकार से की जा रही है, उतनी ही धनराशि की मांग केन्द्र सरकार से भी की गयी है तथा कम्पनी के स्तर पर राज्यांश की पूर्व में भुगतान की गयी समस्त धनराशि का उपभोग कम्पनी द्वारा सुनिश्चित कर लिया गया है।

(vi) क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा बैंक शाखाओं को क्षतिपूर्ति की धनराशि के भुगतान के **30 कैलेण्डर दिन** के अंदर बैंकों से भुगतान की गई धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिसे निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराया जायेगा।

16- योजना का प्रचार-प्रसार -क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में ग्राम स्तर तक फसल बीमा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा एवं योजना में अधिकाधिक कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु निम्न कार्यवाही की जायेगीः-

- स्थानीय प्रिण्ट व इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा अन्य लोकप्रिय माध्यमों से योजना का प्रचार-प्रसार कराया जायेगा।
- जनपद के बैंक कार्मिकों एवं जनपदीय अधिकारियों को योजना के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

- जनपद के मा0 मंत्रीगण एवं जनप्रतिनिधियों को योजना की जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।
- अपने कार्यक्षेत्र के प्रत्येक जनपदों में बैंक शाखाओं के स्तर पर पर्याप्त संख्या में घोषणा पत्र, प्रस्ताव फार्म, हैण्ड बिल, पम्पलेट, लीफलेट, पोस्टर, बैनर आदि की आपूर्ति राज्य सरकार की अधिसूचना जारी किये जाने के **30 कैलेण्डर दिन** के अन्दर सुनिश्चित करायी जायेगी।
- ब्लाक स्तर पर नियुक्त किये गये प्रत्येक बीमा मध्यस्थ के कार्यालय एवं कृषकों द्वारा सम्पर्क करने के समय व दिन आदि का बैंक शाखाओं/बीमा ईकाई-ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
- क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा टोलफ्री नं0 जारी किये जायेंगे, जिसके माध्यम से कृषकों/बैंकों/सम्बन्धित विभागों द्वारा योजना से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा सके तथा आपदा की स्थिति में दावा की सूचना क्रियान्वयन अभिकरण को दी जा सके। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा टोल फ्री नम्बर का व्यापक प्रचार-प्रसार जनपद/तहसील/विकास खण्ड/न्याय पंचायत/ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर पर कृषकों के मध्य सुनिश्चित कराया जायेगा।
- क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा जिन ग्राम पंचायतों में योजना लागू हो, उन ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को योजना का संक्षिप्त विवरण, क्षतिपूर्ति एवं लाभार्थी कृषकों का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।
- योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व प्रचार-प्रसार में खण्ड विकास अधिकारियों, पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ-साथ कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा भी आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

(17 (कृषकों की समस्याओं पर कार्यवाही -बीमा कम्पनी द्वारा कृषकों/सम्बन्धित संस्थाओं/विभागों द्वारा संदर्भित की गई समस्याओं/कठिनाईयों/सूचनाओं का तत्परता से निस्तारण/सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जायेगी। जनसूचना /जनसुनवाई/कोर्टकेस/लोकसभा प्रश्न/राज्यसभा प्रश्न/ विधानसभा प्रश्न/विधान परिषद प्रश्न/उपभोक्ता फोरम/जन प्रतिनिधियों द्वारा की गयी प्रेक्ष्याओं/कार्यवाही को निर्धारित समय-सीमा में उत्तर/निष्पादन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(1) योजना का अनुश्रवण व ऑडिट -राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति एवं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय मॉनीटरिंग समिति द्वारा योजना का अनुश्रवण किया जायेगा एवं योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

जिलास्तरीय मॉनीटरिंग समिति की प्रतिमाह समीक्षा बैठक की प्रगति रिपोर्ट प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन को तथा इसकी प्रति निदेशक, कृषि सॉख्यिकी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

क्रियान्वयन अभिकरण के जनपदीय कार्यालय स्तर पर कार्यरत स्टाफ द्वारा बैंक शाखाओं से प्राप्त उपभोग प्रमाण पत्र के आधार पर 5 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों के बैंक खातों में क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा कराये जाने का सत्यापन बैंक शाखाओं के स्तर पर करते हुए सत्यापन रिपोर्ट जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति एवं निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत की जायेगी।

क्रियान्वयन अभिकरण के प्रदेशीय व मुख्यालय स्तर से कम से कम 1 या 2 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों के बैंक खातो में क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा कराये जाने का सत्यापन किया जायेगा।

क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा कम से कम 5 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों के विवरण को बैंक स्तर पर सत्यापित करते हुए जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति, प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन एवं निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराया जायेगा। इसी प्रकार जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति द्वारा कम से कम 10 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों के विवरण को सत्यापित कराते हुए रिपोर्ट प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन एवं निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जायेगी।

प्रदेश शासन व भारत सरकार स्तर पर नेशनल लेवल मानीटरिंग समिति द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार सत्यापन कराया जायेगा।

(19) फसल बीमा पोर्टल पर सूचनाओं का अपलोड किया जाना -बीमा कम्पनी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के पूर्ण विवरण को राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग के समन्वय से फसल बीमा पोर्टल- **www.agri-insurance.gov.in** पर अधिसूचना जारी होने के 30 कैलेण्डर दिन के अन्दर अपलोड किया जायेगा एवं बैंक शाखाओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड किये गये प्रत्येक बीमित कृषक के विवरण को सत्यापित किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा फसल बीमा योजना के बेहतर प्रशासकीय नियंत्रण तथा योजना के सभी कार्यकारी संस्थाओं एवं कृषकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए पारदर्शी तरीके से योजना से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं के आदान-प्रदान करने हेतु फसल बीमा पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर योजना का नाम, बीमित क्षेत्रफल, बीमित कृषक, बीमित धनराशि, कृषक द्वारा देय प्रीमियम, राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रीमियम पर देय अनुदान की धनराशि, क्रियान्वयन अभिकरण, जनपदवार अधिसूचित फसलवार एवं बीमित इकाई-ग्राम पंचायत क्षेत्रवार अपलोड किया जायेगा, ताकि कृषक एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था बीमा से सम्बन्धित समस्त आवश्यक सूचनायें इन्टरनेट एवं एस०एम०एस० के माध्यम से प्राप्त कर सकें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरण, योजना की राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर अधिसूचना से सम्बन्धित समस्त सही-सही सूचनाओं/ऑकडों को इन्श्योरेन्स पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगी। राज्य सरकार द्वारा पोर्टल पर लोड की गयी सूचनाओं की पुष्टि/सत्यापन किया जायेगा। इन्श्योरेन्स बेव पोर्टल को **www.agri-insurance.gov.in** पर देखा जा सकता है।

(20) व्यवसायिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सभी प्रशासकीय अधिकारी अपने शाखा बैंक के अधिकारियों को योजना के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक दिशा-निर्देश उपलब्ध कराते हुए यह सुनिश्चित करायेंगे कि सभी शाखा बैंकों द्वारा कृषकों के प्रीमियम की धनराशि तथा त्रुटि रहित घोषणा-पत्र क्रियान्वयन अभिकरण को निर्धारित अन्तिम तिथि तक उपलब्ध हो जायें।

(21) क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के प्रत्येक जनपद में कुल किसानों की संख्या का कम से कम **5** प्रतिशत कृषकों की संख्या को गैंर ऋणी कृषकों के रूप में बीमित किया जायेगा। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप गैर ऋणी कृषकों को बीमित नहीं किये जाने की स्थिति में योजनान्तर्गत मौसम विशेष में कुल प्रीमियम की धनराशि का **0.5** प्रतिशत आर्थिक दण्ड (Penalty) के रूप में राज्य सरकार को देय होगा, जो सम्बन्धित क्रियान्वयन अभिकरण की राज्यांश की मॉग से समायोजित किया जायेगा। जनपदवार कुल कृषकों की संख्या का विवरण **परिशिष्ट-5** पर उपलब्ध है।

(22) **दण्ड (Penalty)**- फसल बीमा योजना के संचालन के महत्वपूर्ण बिन्दुओं, जिससे योजना का क्रियान्वयन प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हो रहा है, अथवा कृषक को योजना के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ समय से प्राप्त नहीं हो रहा है, की स्थिति में प्रत्येक मौसम में बीमा कम्पनी पर **परिशिष्ट-6** में उल्लिखित तालिका के अनुरूप आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा। आर्थिक दण्ड/दण्डात्मक कार्यवाही के विरूद्ध क्रियान्वयन अभिकरण को अपना पक्ष एक माह के अन्दर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। क्रियान्वयन अभिकरण पर अर्थदण्ड या अन्य कोई देय धनराशि का बकाया रहता है, तो उसे भविष्य के लिए काली सूची (Black List) में दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी। प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन का इस सम्बन्ध में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(23) कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित फसलों के बीमा इकाई-ग्राम पंचायतवार उपज के ऑकड़ों को क्रियान्वयन अभिकरण को प्रेषण की निर्धारित अन्तिम तिथियॉ- कृषि विभाग द्वारा खरीफ तथा रबी मौसम में अधिसूचित फसलों के अधिसूचित क्षेत्रवार उपज के ऑकड़े फसल कटाई के पूर्ण होने के एक माह की समयावधि में ऑकलित करते हुए क्रियान्वयन अभिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(24) निदेशक, कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के जनपदों के जनपदवार कृषि से सम्बन्धित आवश्यक ऑकड़े क्रियान्वयन अभिकरण की मॉग के अनुरूप उपलब्ध कराया जायेगा।

(25) बैंकों द्वारा योजनान्तर्गत लाभार्थी कृषकों की सूची एवं वितरित क्षतिपूर्ति का विवरण बैंक शाखा स्तर एवं ग्राम पंचायत कार्यालय स्तर पर प्रत्येक मौसम में चस्पा करायी जायेगी।

(26) क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में बीमा कम्पनियों के कार्य क्षेत्र को दो वर्ष हेतु इस आशय से निर्धारित किया गया है ताकि बीमा कम्पनी द्वारा जनपद में विशेष रणनीति बनाते हुए क्षेत्रीय स्तर पर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाय। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा जनपद में अपनी बचतों से कृषकों के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम यथा पेयजल सुविधा/स्वास्थ्य सेवा/शिक्षा/नो क्लेम बोनस/मौसम के अनुमान/व्यक्तिगत बीमा कवर/साझा सेवा केन्द्र आदि का विकास सुनिश्चित करते हुए कृषकों में अपनी कम्पनी की विश्वसनीयता स्थापित करने की कार्यवाही की जायेगी।

(27) कृषकों को बीमा कवरेज प्रदान करने तथा क्षतिपूर्ति के निर्धारण व वितरण की पूरी प्रक्रिया में कृषकों को हतोत्साहित करने की किसी भी स्थिति में क्रियान्वयन अभिकरण के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। कृषि विभाग के अधिकारी क्रियान्वयन अभिकरण के संगत रिकार्डों तक अपनी पहुँच रखेंगे एवं इस पूरी प्रक्रिया का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे। क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा इन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(28) भारत सरकार स्तर से क्रियान्वयन अभिकरण को फसल बीमा योजनाओं में कृषकों की फसलों को कवरेज प्रदान करने हेतु De-Empanelled किया जाता है अथवा फसल बीमा योजनाओं के प्राविधानों में व्यापक संशोधन किये जाते हैं तो तद्नुसार क्रियान्वयन अभिकरण के निर्धारित कार्य क्षेत्र एवं दायित्व को संशोधित/निरस्त किया जा सकता है।

(29) राज्य सरकार एवं क्रियान्वयन अभिकरण बैंकों के संगत रिकार्ड तक अपनी पहुँच रखेंगे एवं बैंकों द्वारा इसमें आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(30) क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा योजना की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(31) क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा प्रत्येक मौसम में बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं को उनके द्वारा कृषकों से प्राप्त प्रीमियम की धनराशि पर चार प्रतिशत सर्विस चार्ज के रूप में प्रदान किया जाएगा।

(32) क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा बीमा क्षतिपूर्ति नोडल बैंक (बैंक शाखा/जिला सहकारी बैंक) को जारी करते हुए योजना का जनपद में फसलवार एवं बैंकवार विस्तृत विवरण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सम्बन्धित जनपद के उप कृषि निदेशक तथा उसकी प्रति निदेशक, कृषि सॉख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(33) योजना की विस्तृत जानकारी हेतु जनपद के अधिकृत क्रियान्वयन अभिकरण अथवा जनपदीय उप कृषि निदेशक अथवा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ से अलग से अनुरोध किया जायेगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 25/2017/2087/12-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण, विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. सचिव एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश, 14-विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
8. मण्डलायुक्त, सम्बन्धित मण्डल, उत्तर प्रदेश।
9. प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं वाहय सहायतित परियोजना निदेशालय, उ0प्र0, 16-विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
11. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
12. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
13. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, 2-महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
14. महाप्रबन्धक, ग्रामीण आयोजना एवं ऋण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, 8-9, विपिनखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
15. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), 11-विपिनखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
16. महाप्रबन्धक (प्रशासन), भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, 35-मोती महल मार्ग, हजरत गंज लखनऊ।
17. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति प्रकोष्ठ (SLBC), बैंक आफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, बड़ौदा हाउस, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

18. अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि0, अम्बादीप, तेरहवी मंजिल, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली।
19. एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं सी0ई0ओ0, रिलायन्स जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, रिलायन्स सेन्टर, साउथ विंग, चतुर्थ तल, आफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, सान्ताक्रूज (पूर्व) मुम्बई।
20. हेड, रूरल बिजनेस, टाटा-ए0आई0जी0 जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, ए-501, पंचम तल, बिल्डिग संख्या-04, इनफिनिटी पार्क, दिनदोशी, मलाड (पूर्व), मुम्बई।
21. मुख्य विपणन अधिकारी, यूनीवर्सल सोमपो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, यूनिट नं0-401, चतुर्थ तल, संगम काम्पलेक्स, 127 अन्धेरी, कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई।
22. प्रबन्ध निदेषक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बजाज एलायन्ज जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, जी0ई0 प्लाजा, एयरपोर्ट रोड, यरवदा, पुणे।
23. महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, जोनल कार्यालय, सेन्ट्रल जोन, नरही, हजरतगंज, लखनऊ।
24. उप महाप्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
25. महाप्रबन्धक, केनरा बैंक, कृषि वित्त एवं प्राथमिकता क्षेत्र अनुभाग, अंचल कार्यालय, 4- सप्रू मार्ग, लखनऊ।
26. मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, केन्द्रीय क्षेत्र, 4- बी, हबीबुल्लाह स्टेट, लखनऊ।
27. उप मुख्य अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक, तीसरी मंजिल, नव चेतना केन्द्र, 10- अशोक मार्ग, लखनऊ।
28. उप महाप्रबन्धक, रीजनल कार्यालय, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, शारदा टावर, द्वितीय तल, कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ।
29. सहायक महाप्रबन्धक, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, आंचलिक कार्यालय, 8- ज्वाला बिल्डिंग, लालबाग, लखनऊ।
30. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं कृषि), बैंक आफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय (पश्चिमी उत्तर प्रदेश), पोस्ट बाक्स नं0-363, विश्व शान्ति काम्पलेक्स, देहली रोड, मेरठ।
31. उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जोनल कार्यालय, पोस्ट बाक्स नं0-198, पहली मंजिल, जीवन बीमा विनियोग भवन, 45- हजरतगंज, लखनऊ।
32. सहायक महाप्रबन्धक, विजया बैंक, नेहरू भवन, पोस्ट बाक्स नं0-183, कैसरबाग, लखनऊ।
33. सहायक महाप्रबन्धक, सिण्डीकेट बैंक, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ।
34. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूको बैंक, आकाशदीप बिल्डिंग, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
35. जोनल मैनेजर, बैंक आफ इण्डिया, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ।
36. क्षेत्रीय प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, कोतवाली के सामने, हजरतगंज, लखनऊ।
37. क्षेत्रीय प्रबन्घक, ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स, अंचल कार्यालय, महात्मा गाँधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।
37. सर्किल हेड, पंजाब नेशनल बैंक, एल0आई0सी0 बिल्डिंग, प्रभातनगर, साकेत, मेरठ।
39. जोनल मैनेजर, इण्डियन बैंक, 2 बी, हबीबुल्लाह इस्टेट, महात्मा गाँधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।
40. क्षेत्रीय प्रबन्धक, देना बैंक, 28 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
41. वरिष्ठ प्रबन्धक, आन्ध्रा बैंक, 16 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
42. सहायक जनरल मैनेजर, बैंक आफ महाराष्ट्र, विकास नगर, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

43. जनरल मैनेजर, नैनीताल बैंक लि0, नैनीताल बैंक हाउस, 7 ओक्स बिल्डिंग, मल्लीताल, नैनीताल।
44. उप जनरल मैनेजर, कार्पोरेशन बैंक, 1-1/ एफ, अशोक मार्ग (निशातगंज के पास), लखनऊ।
45. शाखा प्रभारी, एक्सिस बैंक लि0, 25-बी, अशोक मार्ग, सिकन्दरबाग चौराहा, लखनऊ।
46. शाखा प्रभारी, आई0डी0बी0आई0 बैंक, सहकारी किसान भवन, तृतीय तल, 2- महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
47. वरिष्ठ प्रबन्धक, फेडरल बैंक, 29 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
48. सहायक उपाध्यक्ष, इण्डसाइण्ड बैंक लि0, नवल किशोर रोड, लालबाग, लखनऊ।
49. संयुक्त कृषि निदेशक, सम्बन्धित मण्डल, उत्तर प्रदेश।
50. सांख्यिकीय अधिकारी, मण्डलायुक्त कार्यालय, सम्बन्धित मण्डल, उत्तर प्रदेश।
51. उप कृषि निदेशक, सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।
52. जिला कृषि अधिकारी, सम्बन्धित, उत्तर प्रदेश।
53. अध्यक्ष, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।
54. सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।
55. प्रबन्धक, लीड बैंक (शीर्ष बैंक), सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट - 1

वर्ष 2017-18 व 2018-19 के खरीफ व रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जनपदवार अधिसूचित फसलों का विवरण

क्र० स०	जनपद	अधिसूचित फसलें	
		खरीफ	रबी
1	सहारनपुर	धान, मक्का, मूँगफली	गेहूँ, मसूर
2	मुजफ्फरनगर	धान	गेहूँ, लाही-सरसों, आलू
3	बागपत	धान	गेहूँ, लाही-सरसों
4	गौतम बुद्धनगर	धान, अरहर,	गेहूँ
5	हापुड	धान, मक्का,	गेहूँ, लाही-सरसों, आलू
6	आगरा	धान, बाजरा,	गेहूँ, चना, लाही-सरसों, आलू
7	फिरोजाबाद	धान, मक्का, बाजरा, तिल	गेहूँ, लाही-सरसों, आलू
8	बिजनौर	धान, उर्द, मूँगफली	गेहूँ, मसूर, लाही-सरसों, आलू
9	सम्भल	धान, मक्का, बाजरा, उर्द	गेहूँ, लाही-सरसों, आलू
10	औरैया	धान, मक्का, बाजरा, उर्द	गेहूँ, चना, लाही-सरसों, आलू
11	कानपुर नगर	धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, तिल, अरहर	गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, आलू
12	फतेहपुर	धान, बाजरा, ज्वार, उर्द, मूँग, तिल, अरहर	गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, आलू
13	कौशाम्बी	धान, बाजरा, ज्वार, उर्द, तिल, अरहर	गेहूँ, चना, मटर, लाही-सरसों, आलू
14	प्रतापगढ़	धान, बाजरा, ज्वार, उर्द, अरहर	गेहूँ, चना, मटर, आलू
15	झाँसी	धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, मूँग, तिल, मूँगफली, सोयाबीन	गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों
16	बाँदा	धान, बाजरा, ज्वार, उर्द, मूँग, तिल, मूँगफली, अरहर	गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों
17	चित्रकूट	धान, बाजरा, ज्वार, तिल, अरहर	गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों
18	वाराणसी	धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, अरहर	गेहूँ, चना, मटर, मसूर, आलू
19	बलिया	धान, मक्का, अरहर	गेहूँ, चना, मटर, मसूर, आलू
20	देवरिया	धान, मक्का, मूँगफली, अरहर	गेहूँ
21	संत कबीर नगर	धान, मक्का, अरहर	गेहूँ, मटर, लाही-सरसों, आलू
22	बाराबंकी	धान, मक्का, ज्वार, उर्द, अरहर	गेहूँ, मसूर, लाही-सरसों, आलू
23	अमेठी	धान	गेहूँ
24	गोण्डा	धान, मक्का,	गेहूँ, मसूर, लाही-सरसों
25	श्रावस्ती	धान, मक्का, अरहर	गेहूँ, मसूर, लाही-सरसों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट - 2

वर्ष 2017-18 व 2018-19 के खरीफ व रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में जनपदवार अधिकृत बीमा कम्पनी

क्र0 स0	जनपद	क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में अधिकृत बीमा कम्पनी
1	सहारनपुर	एस0बी0आई0 जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि0
2	मुजफ्फरनगर	न्यूइंण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लि0
3	बागपत	न्यूइंण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लि0
4	गौतम बुद्धनगर	न्यूइंण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लि0
5	हापुड़	न्यूइंण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लि0
6	आगरा	एस0बी0आई0 जनरलइन्श्योरेंस कम्पनी लि0
7	फिरोजाबाद	न्यूइंण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लि0
8	बिजनौर	एस0बी0आई0 जनरलइन्श्योरेंस कम्पनी लि0
9	सम्भल	एस0बी0आई0 जनरलइन्श्योरेंस कम्पनी लि0
10	औरैया	एस0बी0आई0 जनरलइन्श्योरेंस कम्पनी लि0
11	कानपुर नगर	एस0बी0आई0 जनरलइन्श्योरेंस कम्पनी लि0
12	फतेहपुर	एस0बी0आई0 जनरलइन्श्योरेंस कम्पनी लि0
13	कौशाम्बी	न्यूइंण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लि0
14	प्रतापगढ़	एस0बी0आई0 जनरलइन्श्योरेंस कम्पनी लि0
15	झाँसी	न्यूइंण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लि0
16	बाँदा	एस0बी0आई0 जनरलइन्श्योरेंस कम्पनी लि0
17	चित्रकूट	न्यूइंण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लि0
18	वाराणसी	एस0बी0आई0 जनरलइन्श्योरेंस कम्पनी लि0
19	बलिया	एस0बी0आई0 जनरलइन्श्योरेंस कम्पनी लि0
20	देवरिया	एस0बी0आई0 जनरलइन्श्योरेंस कम्पनी लि0
21	संत कबीर नगर	न्यूइंण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लि0
22	बाराबंकी	न्यूइंण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लि0
23	अमेठी	एस0बी0आई0 जनरलइन्श्योरेंस कम्पनी लि0
24	गोण्डा	न्यूइंण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लि0
25	श्रावस्ती	न्यूइंण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट – 3

वर्ष 2017-18 व 2018-19 के खरीफ मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिसूचित फसल की जनपदवार इन्डेम्निटी स्तर, बीमित राशि, कृषकों द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम दर (कृषक अंश), प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केन्द्रांश, राज्यांश व कुल प्रीमियम दर का विवरण।

फसल - धान							
क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % मे)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहारनपुर	90%	52035	2.000	0.500	0.500	3.00
2	मुजफ्फरनगर	90%	52290	2.000	0.500	0.500	3.00
3	बागपत	90%	59516	2.000	1.000	1.000	4.00
4	गौतम बुद्ध नगर	90%	50803	2.000	1.000	1.000	4.00
5	हापुड़	90%	62163	2.000	1.000	1.000	4.00
6	आगरा	80%	53994	2.000	0.500	0.500	3.00
7	फिरोजाबाद	80%	60086	2.000	0.500	0.500	3.00
8	बिजनौर	90%	54089	2.000	1.000	1.000	4.00
9	सम्भल	90%	50794	2.000	0.000	0.000	2.00
10	औरैया	90%	66005	2.000	1.500	1.500	5.00
11	कानपुर नगर	90%	54504	2.000	2.000	2.000	6.00
12	फतेहपुर	80%	51503	2.000	1.250	1.250	4.50
13	कौशाम्बी	90%	48614	2.000	2.000	2.000	6.00
14	प्रतापगढ़	80%	48283	2.000	0.500	0.500	3.00
15	झाँसी	90%	39888	2.000	4.000	4.000	10.00
16	बाँदा	80%	33548	2.000	3.000	3.000	8.00
17	चित्रकूट	80%	27074	2.000	5.000	5.000	12.00
18	वाराणसी	90%	48913	2.000	3.500	3.500	9.00
19	बलिया	80%	46973	2.000	3.500	3.500	9.00
20	देवरिया	80%	43864	2.000	3.500	3.500	9.00
21	संत कबीर नगर	80%	45366	2.000	1.500	1.500	5.00
22	बाराबंकी	90%	58489	2.000	3.375	3.375	8.75
23	अमेठी	80%	49774	2.000	0.500	0.500	3.00
24	गोण्डा	90%	50022	2.000	1.750	1.750	5.50
25	श्रावस्ती	90%	46670	2.000	1.875	1.875	5.75

फसल - मक्का							
क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % मे)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहारनपुर	90%	19284	2.000	0.335	0.335	2.67

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	हापुड़	80%	27254	2.000	0.500	0.500	3.00
3	फिरोजाबाद	90%	37998	2.000	0.500	0.500	3.00
4	सम्भल	80%	24425	2.000	0.335	0.335	2.67
5	औरैया	90%	32846	2.000	1.600	1.600	5.20

फसल - मक्का							
क्र.सं.	**जनपद**	**इन्डेम्निटी स्तर**	**बीमित राशि (रू./हे.)**	**प्रीमियम दर (बीमित राशि के % मे)**			
				कृषक अंश	**केन्द्रांश**	**राज्यांश**	**कुल प्रीमियम दर**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
6	कानपुर नगर	90%	24812	2.000	3.250	3.250	8.50
7	झाँसी	90%	11521	2.000	3.625	3.625	9.25
8	वाराणसी	90%	22349	2.000	0.500	0.500	3.00
9	बलिया	80%	16304	2.000	10.000	10.000	22.00
10	देवरिया	90%	25752	2.000	2.125	2.125	6.25
11	संत कबीर नगर	80%	21466	2.000	0.500	0.500	3.00
12	बाराबंकी	90%	8619	2.000	6.500	6.500	15.00
13	गोण्डा	80%	13995	2.000	2.500	2.500	7.00
14	श्रावस्ती	80%	10737	2.000	2.250	2.250	6.50

फसल - बाजरा							
क्र.सं.	**जनपद**	**इन्डेम्निटी स्तर**	**बीमित राशि (रू./हे.)**	**प्रीमियम दर (बीमित राशि के % मे)**			
				कृषक अंश	**केन्द्रांश**	**राज्यांश**	**कुल प्रीमियम दर**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	आगरा	90%	27235	2.000	1.050	1.050	4.10
2	फिरोजाबाद	80%	29353	2.000	0.000	0.000	2.00
3	सम्भल	80%	18697	2.000	0.835	0.835	3.67
4	औरैया	90%	29281	2.000	1.000	1.000	4.00
5	कानपुर नगर	80%	20687	2.000	0.500	0.500	3.00
6	फतेहपुर	80%	13139	2.000	0.335	0.335	2.67
7	कौशाम्बी	90%	15018	2.000	1.000	1.000	4.00
8	प्रतापगढ़	80%	10165	2.000	1.000	1.000	4.00
9	झाँसी	80%	13344	2.000	10.000	10.000	22.00
10	बाँदा	80%	13275	2.000	4.500	4.500	11.00
11	चित्रकूट	80%	13137	2.000	2.000	2.000	6.00
12	वाराणसी	80%	14442	2.000	1.000	1.000	4.00

फसल - ज्वार							
क्र.सं.	**जनपद**	**इन्डेम्निटी स्तर**	**बीमित राशि (रू./हे.)**	**प्रीमियम दर (बीमित राशि के % मे)**			
				कृषक अंश	**केन्द्रांश**	**राज्यांश**	**कुल प्रीमियम दर**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	कानपुर नगर	80%	20387	2.000	0.750	0.750	3.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	फतेहपुर	90%	21037	2.000	1.250	1.250	4.50
3	कौशाम्बी	80%	20396	2.000	4.000	4.000	10.00
4	प्रतापगढ़	80%	18335	2.000	0.750	0.750	3.50
5	झाँसी	80%	17258	2.000	11.500	11.500	25.00
6	बाँदा	80%	15003	2.000	8.500	8.500	19.00
7	चित्रकूट	80%	14263	2.000	5.000	5.000	12.00
8	वाराणसी	80%	17986	2.000	2.250	2.250	6.50
9	बाराबंकी	80%	15886	2.000	2.000	2.000	6.00

फसल - उर्द

क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % मे)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बिजनौर	80%	39659	2.000	0.350	0.350	2.70
2	सम्भल	80%	41050	2.000	2.000	2.000	6.00
3	औरैया	80%	35551	2.000	3.750	3.750	9.50
4	कानपुर नगर	90%	24130	2.000	5.330	5.330	12.66
5	फतेहपुर	90%	24262	2.000	1.500	1.500	5.00
6	कौशाम्बी	80%	26167	2.000	3.000	3.000	8.00
7	प्रतापगढ़	80%	28678	2.000	1.000	1.000	4.00
8	झाँसी	80%	19675	2.000	11.500	11.500	25.00
9	बाँदा	90%	14437	2.000	2.000	2.000	6.00
10	वाराणसी	80%	29440	2.000	1.500	1.500	5.00
11	बाराबंकी	80%	21817	2.000	2.000	2.000	6.00

फसल - मूँग

क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % मे)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फतेहपुर	80%	18041	2.000	3.500	3.500	9.00
2	झाँसी	80%	17061	2.000	11.500	11.500	25.00
3	बाँदा	90%	15285	2.000	10.500	10.500	23.00

फसल - तिल

क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % मे)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फिरोजाबाद	80%	9031	2.000	4.000	4.000	10.00
2	कानपुर नगर	80%	8222	2.000	5.950	5.950	13.90
3	फतेहपुर	80%	8057	2.000	3.000	3.000	8.00

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	कौशाम्बी	80%	8770	2.000	3.000	3.000	8.00
5	झाँसी	90%	12974	2.000	8.000	8.000	18.00
6	बाँदा	90%	7865	2.000	9.000	9.000	20.00
7	चित्रकूट	80%	6329	2.000	4.000	4.000	10.00

फसल - मूँगफली

क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % मे)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहारनपुर	90%	44820	2.000	1.000	1.000	4.00
2	बिजनौर	80%	39746	2.000	0.375	0.375	2.75
3	झाँसी	80%	36026	2.000	8.000	8.000	18.00
4	बाँदा	90%	31253	2.000	11.000	11.000	24.00
5	देवरिया	80%	44667	2.000	1.250	1.250	4.50

फसल - अरहर

क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % मे)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गौतम बुद्ध नगर	80%	38989	2.000	1.500	1.500	5.00
2	कानपुर नगर	80%	89864	2.000	4.750	4.750	11.50
3	फतेहपुर	80%	40958	2.000	3.250	3.250	8.50
4	कौशाम्बी	80%	45999	2.000	8.000	8.000	18.00
5	प्रतापगढ़	90%	49976	2.000	1.335	1.335	4.67
6	बाँदा	80%	41625	2.000	8.000	8.000	18.00
7	चित्रकूट	80%	35771	2.000	6.500	6.500	15.00
8	वाराणसी	80%	44829	2.000	2.000	2.000	6.00
9	बलिया	90%	37139	2.000	8.000	8.000	18.00
10	देवरिया	80%	31569	2.000	2.400	2.400	6.80
11	संत कबीर नगर	80%	33974	2.000	2.000	2.000	6.00
12	बाराबंकी	80%	43904	2.000	2.000	2.000	6.00
13	श्रावस्ती	80%	26997	2.000	5.000	5.000	12.00

फसल - सोयाबीन

क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % मे)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	झाँसी	90%	23490	2.000	8.000	8.000	18.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट – 4

वर्ष 2016-17 व 2017-18 के रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिसूचित फसल की जनपदवार इन्डेम्निटी स्तर, बीमित राशि, कृषकों द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम दर (कृषक अंश), प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केन्द्रांश, राज्यांश व कुल प्रीमियम दर का विवरण।

फसल - गेहूँ

क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % मे)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहारनपुर	80%	52409	1.500	1.250	1.250	4.00
2	मुजफ्फरनगर	80%	57474	1.500	0.750	0.750	3.00
3	बागपत	90%	66915	1.500	1.250	1.250	4.00
4	गौतम बुद्ध नगर	80%	60116	1.500	1.250	1.250	4.00
5	हापुड़	80%	70761	1.500	0.750	0.750	3.00
6	आगरा	80%	57490	1.500	1.250	1.250	4.00
7	फिरोजाबाद	80%	57286	1.500	2.250	2.250	6.00
8	बिजनौर	90%	50296	1.500	0.250	0.250	2.00
9	सम्भल	80%	52654	1.500	0.750	0.750	3.00
10	औरैया	80%	56903	1.500	1.250	1.250	4.00
11	कानपुर नगर	80%	51587	1.500	3.250	3.250	8.00
12	फतेहपुर	80%	49307	1.500	1.250	1.250	4.00
13	कौशाम्बी	80%	41693	1.500	1.750	1.750	5.00
14	प्रतापगढ़	80%	43032	1.500	2.250	2.250	6.00
15	झाँसी	80%	40825	1.500	5.250	5.250	12.00
16	बाँदा	80%	29436	1.500	3.250	3.250	8.00
17	चित्रकूट	80%	31072	1.500	2.750	2.750	7.00
18	वाराणसी	80%	44945	1.500	1.250	1.250	4.00
19	बलिया	80%	46976	1.500	1.250	1.250	4.00
20	देवरिया	80%	46120	1.500	0.750	0.750	3.00
21	संत कबीर नगर	80%	45897	1.500	0.250	0.250	2.00
22	बाराबंकी	80%	53690	1.500	0.750	0.750	3.00
23	अमेठी	80%	43394	1.500	0.750	0.750	3.00
24	गोण्डा	80%	46951	1.500	0.750	0.750	3.00
25	श्रावस्ती	80%	52027	1.500	0.750	0.750	3.00

फसल - चना

क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % मे)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आगरा	80%	52027	1.500	7.775	7.775	17.05
2	औरैया	80%	51392	1.500	4.750	4.750	11.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3	कानपुर नगर	80%	43309	1.500	6.080	6.080	13.66
4	फतेहपुर	80%	37387	1.500	9.265	9.265	20.03
5	कौशाम्बी	90%	36947	1.500	4.250	4.250	10.00
6	प्रतापगढ़	80%	33315	1.500	1.545	1.545	4.59
7	झाँसी	80%	35210	1.500	8.750	8.750	19.00
8	बाँदा	80%	25824	1.500	11.750	11.750	25.00
9	चित्रकूट	80%	26215	1.500	6.750	6.750	15.00
10	वाराणसी	80%	39878	1.500	1.575	1.575	4.65
11	बलिया	80%	43239	1.500	1.750	1.750	5.00

फसल - मटर							
क्र.सं.	**जनपद**	**इन्डेम्निटी स्तर**	**बीमित राशि (रू./हे.)**	**प्रीमियम दर (बीमित राशि के % मे)**			
				कृषक अंश	**केन्द्रांश**	**राज्यांश**	**कुल प्रीमियम दर**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	कानपुर नगर	90%	52393	1.500	4.075	4.075	9.65
2	फतेहपुर	80%	33527	1.500	1.585	1.585	4.67
3	कौशाम्बी	80%	33527	1.500	1.250	1.250	4.00
4	प्रतापगढ़	80%	33527	1.500	1.110	1.110	3.72
5	झाँसी	80%	52506	1.500	6.750	6.750	15.00
6	बाँदा	90%	26192	1.500	8.750	8.750	19.00
7	चित्रकूट	80%	25260	1.500	1.750	1.750	5.00
8	वाराणसी	80%	39711	1.500	1.660	1.660	4.82
9	बलिया	80%	37532	1.500	3.345	3.345	8.19
10	संत कबीर नगर	80%	39902	1.500	0.750	0.750	3.00

फसल - मसूर							
क्र.सं.	**जनपद**	**इन्डेम्निटी स्तर**	**बीमित राशि (रू./हे.)**	**प्रीमियम दर (बीमित राशि के % मे)**			
				कृषक अंश	**केन्द्रांश**	**राज्यांश**	**कुल प्रीमियम दर**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	सहारनपुर	80%	27297	1.500	9.305	9.305	20.11
2	बिजनौर	80%	36388	1.500	2.250	2.250	6.00
3	कानपुर नगर	90%	34205	1.500	4.315	4.315	10.13
4	फतेहपुर	80%	27049	1.500	5.080	5.080	11.66
5	झाँसी	80%	28336	1.500	11.750	11.750	25.00
6	बाँदा	80%	21665	1.500	9.250	9.250	20.00

फसल - मसूर							
क्र.सं.	**जनपद**	**इन्डेम्निटी स्तर**	**बीमित राशि (रू./हे.)**	**प्रीमियम दर (बीमित राशि के % मे)**			
				कृषक अंश	**केन्द्रांश**	**राज्यांश**	**कुल प्रीमियम दर**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7	चित्रकूट	80%	18678	1.500	8.250	8.250	18.00
8	वाराणसी	80%	33682	1.500	1.250	1.250	4.00
9	बलिया	80%	45425	1.500	0.695	0.695	2.89
10	बाराबंकी	80%	28963	1.500	2.250	2.250	6.00
11	गोण्डा	90%	32285	1.500	0.250	0.250	2.00
12	श्रावस्ती	90%	28699	1.500	1.750	1.750	5.00

फसल - लाही-सरसों

क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % मे)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुजफ्फरनगर	80%	38299	1.500	1.250	1.250	4.00
2	बागपत	80%	45098	1.500	1.250	1.250	4.00
3	हापुड़	80%	49248	1.500	0.750	0.750	3.00
4	आगरा	80%	56715	1.500	1.270	1.270	4.04
5	फिरोजाबाद	90%	53326	1.500	0.750	0.750	3.00
6	बिजनौर	80%	41683	1.500	0.915	0.915	3.33
7	सम्भल	80%	47304	1.500	0.585	0.585	2.67
8	औरैया	80%	50451	1.500	2.295	2.295	6.09
9	कानपुर नगर	80%	42089	1.500	4.755	4.755	11.01
10	फतेहपुर	90%	31392	1.500	4.915	4.915	11.33
11	कौशाम्बी	80%	32822	1.500	1.250	1.250	4.00
12	झाँसी	80%	22767	1.500	6.750	6.750	15.00
13	बाँदा	80%	18093	1.500	8.750	8.750	19.00
14	चित्रकूट	80%	16740	1.500	8.250	8.250	18.00
15	संत कबीर नगर	80%	50464	1.500	1.250	1.250	4.00
16	बाराबंकी	80%	26141	1.500	2.250	2.250	6.00
17	गोण्डा	90%	28862	1.500	0.250	0.250	2.00
18	श्रावस्ती	80%	22726	1.500	3.250	3.250	8.00

फसल - आलू

क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % मे)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुजफ्फरनगर	80%	84147	5.000	5.000	5.000	15.00
2	हापुड	90%	106661	5.000	2.500	2.500	10.00
3	आगरा	90%	105499	4.500	0.000	0.000	4.50
4	फिरोजाबाद	90%	113398	3.000	0.000	0.000	3.00
5	बिजनौर	80%	97780	3.000	0.000	0.000	3.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फसल - आलू							
क्र.सं.	जनपद	इन्डेम्निटी स्तर	बीमित राशि (रू./हे.)	प्रीमियम दर (बीमित राशि के % मे)			
				कृषक अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्रीमियम दर
1	2	3	4	5	6	7	8
6	सम्भल	90%	95544	4.000	0.000	0.000	4.00
7	औरैया	90%	122390	5.000	1.465	1.465	7.93
8	कानपुर नगर	80%	76233	5.000	2.500	2.500	10.00
9	फतेहपुर	80%	87909	5.000	1.010	1.010	7.02
10	कौशाम्बी	90%	69954	5.000	1.500	1.500	8.00
11	प्रतापगढ़	80%	72626	3.000	0.000	0.000	3.00
12	वाराणसी	80%	78193	4.870	0.000	0.000	4.87
13	बलिया	80%	88364	5.000	3.000	3.000	11.00
14	संत कबीर नगर	90%	97539	3.000	0.000	0.000	3.00
15	बाराबंकी	80%	81848	5.000	1.500	1.500	8.00

परिशिष्ट-5

प्रदेश के जनपदों में जनपदवार कृषकों की कुल संख्या (कृषि गणना 2010-11 के अनुसार)

क्र.सं.	जनपद	प्रदेश में कुल कृषकों की संख्या	जनपदवार गैर ऋणी कृषकों की संख्या, जिन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रति मौसम कवर किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है
1.	सहारनपुर	259313	12966
2.	मुजफ्फरनगर	231507	11575
3.	बागपत	116179	5809
4.	जी.बी. नगर	86528	4326
5.	हापुड़	104816	5241
6.	आगरा	259604	12980
7.	फिरोजाबाद	178912	8946
8.	बिजनौर	353098	17655
9.	सम्भल	274841	13742
10.	औरैया	201815	10091
11.	कानपुर नगर	253619	12681
12.	फतेहपुर	402071	20104
13.	कौशाम्बी	214773	10739
14.	प्रतापगढ़	487608	24380
15.	झांसी	254548	12727
16.	बांदा	264402	13220

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

17.	चित्रकूट	158094	7905
18.	वाराणसी	267565	13378
19.	बलिया	380307	19015
20.	देवरिया	389684	19484
21.	संत कबीरनगर	226241	11312
22.	बाराबंकी	466486	23324
23.	अमेठी	434194	21710
24.	गोंडा	500277	25014
25.	श्रावस्ती	193107	9655

परिशिष्ट – 6

बीमा कम्पनी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में निर्धारित प्रक्रिया/समयबद्धता से कार्यवाही नहीं किये जाने की विभिन्न स्थितियों में सम्बन्धित वर्ष के सम्बन्धित खरीफ अथवा रबी मौसम हेतु दण्ड प्वाइन्ट एवं आर्थिक दण्ड का निर्धारणः-

क्र.सं.	**सम्पादित किये जाने वाले कार्य**	**मदवार सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की निर्धारित समय सारिणी**	**दण्ड की देयता की स्थिति व निर्धारित दण्ड का प्वाइन्ट**	
1	प्रदेश व सभी कार्यक्षेत्र के जनपदों के स्तर पर बीमा कम्पनी का कार्यालय की स्थापना एवं अधिकारी की नियुक्ति।	राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि के अधिकतम 30 कैलेण्डर दिन तक।	**1.1** अधिसूचना जारी होने की तिथि के 30 कैलेण्डर दिन के पश्चात् एवं 45 कैलेण्डर दिन तक।	02 प्वाइन्ट
			1.2 अधिसूचना जारी होने की तिथि के 45 कैलेण्डर दिन के पश्चात्	04 प्वाइन्ट
			1.3 अधिसूचना जारी होने की तिथि के 45 कैलेण्डर दिन के पश्चात् भी कार्यालय की स्थापना व अधिकारी की नियुक्ति नहीं किये जाने पर।	12 प्वाइन्ट
2	कार्यक्षेत्र के सभी जनपदों के प्रत्येक ब्लाक पर बीमा मध्यस्थ की नियुक्ति।	राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि के अधिकतम 30 कैलेण्डर दिन तक।	**2.1** अधिसूचना जारी होने की तिथि के 30 कैलेण्डर दिन से अधिक व 45 कैलेण्डर दिन तक।	02 प्वाइन्ट
			2.2 अधिसूचना जारी होने की तिथि के 45 कैलेण्डर दिन के पश्चात्।	04 प्वाइन्ट
3	कार्यक्षेत्र के जनपदों में फसल के बीमित क्षेत्र एवं वास्तविक बोये गये क्षेत्रफल में विसंगति का निस्तारण किया जाना।	प्रदेश सरकार को राज्यांश की माँग प्रस्तुत करने से पूर्व।	**3.**जनपद के जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति की बैठक में विसंगति को संज्ञान में न लाने एवं कृषि व राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए सर्वेक्षण सुनिश्चित नहीं किये जाने पर।	03 प्वाइन्ट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4.	कृषकों को बीमा कवरेज की स्थिति व क्षतिपूर्ति के विवरण से एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचित करना।	बैंक शाखा स्तर पर प्रीमियम की कटौती होने के 15 कैलेण्डर दिन में बीमित कृषक को सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा एस0एम0एस0 किया जायेगा। बीमा कम्पनी द्वारा इस सम्बन्ध में समन्वय स्थापित करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।	**4.1** प्रीमियम की कटौती के 15 कैलेण्डर दिन के पश्चात् कृषकों को एस0एम0एस0 प्रेषित किये जाने पर।	02 प्वाइन्ट
		बीमा कम्पनी द्वारा घोषणा पत्र प्राप्त होने के बाद बीमित फसल, बीमित क्षेत्र, बीमित धनराशि व प्रीमियम की धनराशि के विवरण को 45 कैलेण्डर दिन में एस0एम0एस0 के माध्यम से कृषक को सूचित किया जाय।	**4.2** 45 कैलेण्डर दिन के पश्चात् कृषकों को एस0एम0एस0 प्रेषित किये जाने पर।	02 प्वाइन्ट
		बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति जारी किये जाने के 15 कैलेण्डर दिन में एस0एम0एस0 के माध्यम से कृषक को सूचित किया जाय।	**4.3** 15 कैलेण्डर दिन के पश्चात् कृषकों को एस0एम0एस0 प्रेषित किये जाने पर।	02 प्वाइन्ट

क्र.सं.	**सम्पादित किये जाने वाले कार्य**	**मदवार सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की निर्धारित समय सारिणी**	**दण्ड की देयता की स्थिति व निर्धारित दण्ड का प्वाइन्ट**	
5	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कवर किये जा रहे निम्न सभी जोखिमों की स्थितियों में क्षतिपूर्ति का भुगतान- • प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से फसलों की बुआई न कर पाना / असफल बुआई की स्थिति। • फसलों की बुआई से कटाई की अवधि में प्राकृतिक आपदाओं - सूखा अथवा शुष्क स्थिति, बाढ़, जलप्लावन, ओला, भूस्खलन, प्राकृतिक आग या आकाशीय बिजली, तूफान, चक्रवात एवं रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों, रोगों, कृमियों से फसलों	प्रत्येक मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत निविदा प्रपत्र के पृष्ठ-1 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रस्तर-(iii) में उल्लिखित सभी जोखिमों हेतु निर्धारित समय सारिणीके अन्दर।	**5.1.1**प्रत्येक मौसम में कार्यक्षेत्र के जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उल्लिखित प्रत्येक जोखिम में क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के उपरान्त से आगामी 07 कैलेण्डर दिन तक देय क्षतिपूर्ति के 50 प्रतिशत से कम भुगतान किये जाने पर।	06 प्वाइन्ट
			5.1.2प्रत्येक मौसम में कार्यक्षेत्र के जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उल्लिखित प्रत्येक जोखिम में क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के उपरान्त से आगामी 07 कैलेण्डर दिन तक देय क्षतिपूर्ति के 50 प्रतिशत या अधिक एवं 90 प्रतिशत से कम भुगतान किये जाने पर।	04प्वाइन्ट
			5.1.3प्रत्येक मौसम में कार्यक्षेत्र के जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उल्लिखित प्रत्येक जोखिम में क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के उपरान्त से आगामी 07 कैलेण्डर दिन तक देय क्षतिपूर्ति के 90 प्रतिशत या अधिक का भुगतान किये जाने पर।	02प्वाइन्ट

http://shasanadesh.up.nic.in

	की क्षति की स्थिति(फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर नियमानुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान)। • स्थानिक आपदाओं- ओला, भूस्खलन, जलप्लावन अथवा फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों की अवधि तक खेत में कटी हुई फसल को बेमौसम/चक्रवाती वर्षा, चक्रवात से क्षति की स्थिति (व्यक्तिगत आधार पर क्षतिपूर्ति का भुगतान)। • फसल की मध्य अवस्था तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से फसल की सम्भावित उपज सामान्य उपज से 50प्रतिशत कम होने की स्थिति (तात्कालिक सहायता के रूप में आंशिक क्षतिपूर्ति का भुगतान)।		**5.2**प्रत्येक मौसम में कार्यक्षेत्र के जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उल्लिखित प्रत्येक जोखिम में क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि से आगामी 07 कैलेण्डर दिन के उपरान्त से निर्धारित अन्तिम तिथि से 14 कैलेण्डर दिन तक देय क्षतिपूर्ति का पूर्ण भुगतान नहीं किये जाने पर।	10प्वाइन्ट
			5.3प्रत्येक मौसम में कार्यक्षेत्र के जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उल्लिखित प्रत्येक जोखिम में क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि से आगामी 14 कैलेण्डर दिन के उपरान्त से निर्धारित अन्तिम तिथि से 21 कैलेण्डर दिन तक देय क्षतिपूर्ति का पूर्ण भुगतान नहीं किये जाने पर।	20प्वाइन्ट
			5.4प्रत्येक मौसम में कार्यक्षेत्र के जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उल्लिखित प्रत्येक जोखिम में क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि से आगामी 21 कैलेण्डर दिन के उपरान्त से निर्धारित अन्तिम तिथि से 28 कैलेण्डर दिन तक देय क्षतिपूर्ति का पूर्ण भुगतान नहीं किये जाने पर।	30प्वाइन्ट
			5.5प्रत्येक मौसम में कार्यक्षेत्र के जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जोखिम में क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि से 28 कैलेण्डर दिन के उपरान्त पूर्ण भुगतान नहीं किये जाने पर।	बीमा कम्पनी के विरूद्ध अधिकतम् आर्थिक दण्ड (मौसम विशेष में संबन्धित जनपद/ जनपदों में बीमा कम्पनी के कुल प्रीमियम का 1.25 प्रतिशत) का निर्धारणकिया जायेगा इसके अतिरिक्त शासन द्वारा निर्णय लेते हुए बीमा कम्पनी के विरूद्ध ब्लैकलिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

आर्थिक दण्डः

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में निर्धारित प्रक्रिया/समयबद्धता पर कार्यवाही नहीं किये जाने की विभिन्न स्थितियों में सम्बन्धित वर्ष के सम्बन्धित खरीफ अथवा रबी मौसम हेतु दण्ड प्वाइन्ट के आधार पर आर्थिक दण्ड की निर्धारितधनराशिका विवरणः-

क्र.सं.	**मौसमवार बीमा कम्पनी के कुल दण्ड के प्वाइन्ट का योग**	**मौसमवार बीमा कम्पनी द्वारा वहन की जाने वाली आर्थिक दण्ड की धनराशि**
1.	दण्ड प्वाइन्ट का योग 10 या 10 से अधिक एवं 19 प्वाइन्ट तक होने पर।	मौसम विशेष में सम्बन्धित जनपद/जनपदों में बीमा कम्पनी के कुल प्रीमियम का 0.50प्रतिशत।
2.	दण्ड प्वाइन्ट का योग 20 या 20 से अधिक एवं 29 प्वाइन्ट तक होने पर।	मौसम विशेष में सम्बन्धित जनपद/जनपदों में बीमा कम्पनी के कुल प्रीमियम का 0.75प्रतिशत।
3.	दण्ड प्वाइन्ट का योग 30 या 30 से अधिक एवं 39 प्वाइन्ट तक होने पर।	मौसम विशेष में सम्बन्धित जनपद/जनपदों में बीमा कम्पनी के कुल प्रीमियम का 1.00प्रतिशत।
4.	दण्ड प्वाइन्ट का योग 40 या 40 से अधिक होने पर।	मौसम विशेष में सम्बन्धित जनपद/जनपदों में बीमा कम्पनी के कुल प्रीमियम का 1.25प्रतिशत।

नोट- बीमा कम्पनी के विरूद्ध उपरोक्त आर्थिक दण्ड का निर्धारण सम्बन्धित जनपद में मौसम विशेष में बीमा कम्पनी के परफार्मेन्स के अनुरूप निर्धारित किया जायेगा।

2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के प्रत्येक जनपद में कुल कृषकों की संख्या के 05 प्रतिशत कृषकों की संख्या को गैर ऋणी कृषकों के रूप में कवरेज प्रदान नहीं किये जाने पर निर्धारितआर्थिक दण्डः-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के प्रत्येक जनपद में कुल कृषकों की संख्या के 05 प्रतिशत कृषकों की संख्या को गैर ऋणी कृषकों के रूप में नहीं किये जाने की स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा जनपद व मौसम विशेष में योजनान्तर्गत कुल प्रीमियम के 0.5 प्रतिशत धनराशि को आर्थिक दण्ड के रूप में राज्य सरकार को देय होगा जो सम्बन्धित बीमा कम्पनी के राज्यांश की माँग में समायोजित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट - 7

वर्ष 2017-18 व 2018-19 के खरीफ मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत स्थानिक आपदाओं – ओला, भूस्खलन व जलप्लावन के जोखिमों अथवा फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों की अवधि में खेत में कटी हुई फसलों को बेमौसम/चक्रवाती वर्षा, चक्रवात के जोखिमों से क्षति की स्थिति में फसल के उत्पादन लागत में व्यय के अनुरूप क्षति के आँकलन हेतु निर्धारित तालिका–

फसल -धान									
क्र.सं.	जनपद	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम* उत्पादन लागत (रू./हे.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में)देय होगी					
				बुवाई के बाद से आगामी 40 दिन तक	बुवाई के 40 दिन बाद से 50 दिन तक	बुवाई के 50 दिन बाद से 65 दिन तक	बुवाई के 65 दिन बाद से 90 दिन तक	बुवाई के 90दिन बाद से फसलकीकटाईसेपूर्वतक	फसलकीकटाई केउपरान्तसेआगामी 14 दिनतक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सहारनपुर	130 दिन	52035	60%	70%	75%	80%	90%	100%
2	मुजफ्फरनगर		52290	60%	70%	75%	80%	90%	100%
3	बागपत		59516	60%	70%	75%	80%	90%	100%
4	गौतम बुद्ध नगर		50803	60%	70%	75%	80%	90%	100%
5	हापुड़		62163	60%	70%	75%	80%	90%	100%
6	आगरा		53994	60%	70%	75%	80%	90%	100%
7	फिरोजाबाद		60086	60%	70%	75%	80%	90%	100%
8	बिजनौर		54089	60%	70%	75%	80%	90%	100%
9	सम्भल		50794	60%	70%	75%	80%	90%	100%
10	औरैया		66005	60%	70%	75%	80%	90%	100%
11	कानपुर नगर		54504	60%	70%	75%	80%	90%	100%
12	फतेहपुर		51503	60%	70%	75%	80%	90%	100%
13	कौशाम्बी		48614	60%	70%	75%	80%	90%	100%
14	प्रतापगढ़		48283	60%	70%	75%	80%	90%	100%
15	झाँसी		39888	60%	70%	75%	80%	90%	100%
16	बाँदा		33548	60%	70%	75%	80%	90%	100%
17	चित्रकूट		27074	60%	70%	75%	80%	90%	100%
18	वाराणसी		48913	60%	70%	75%	80%	90%	100%
19	बलिया		46973	60%	70%	75%	80%	90%	100%
20	देवरिया		43864	60%	70%	75%	80%	90%	100%
21	संत कबीर नगर		45366	60%	70%	75%	80%	90%	100%
22	बाराबंकी		58489	60%	70%	75%	80%	90%	100%
23	अमेठी		49774	60%	70%	75%	80%	90%	100%
24	गोण्डा		50022	60%	70%	75%	80%	90%	100%
25	श्रावस्ती		46670	60%	70%	75%	80%	90%	100%

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

* व्यक्तिगत कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि एवं जनपद स्तर पर निर्धारित अधिकतम उत्पादन लागत की धनराशि में से जो कम हो,को कृषक की प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत मानते हुए आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत में व्यय का आँकलन करते हुए कृषक को देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जायेगा।

फसल -मक्का

क्र.सं.	जनपद	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम* उत्पादन लागत (रू./हे.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में)देय होगी					
				बुवाई के बाद से आगामी 30 दिन तक	बुवाई के 30 दिन बाद से 40 दिन तक	बुवाई के 40 दिन बाद से 50दिन तक	बुवाई के 50दिन बाद से 75दिन तक	बुवाई के 75दिन बाद से फसलकीकटाईसेपूर्वतक	फसलकीकटाई केउपरान्तसेआगामी 14 दिनतक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सहारनपुर	100 दिन	19284	60%	70%	80%	85%	90%	100%
2	हापुड़		27254	60%	70%	80%	85%	90%	100%
3	फिरोजाबाद		37998	60%	70%	80%	85%	90%	100%
4	सम्भल		24425	60%	70%	80%	85%	90%	100%
5	औरैया		32846	60%	70%	80%	85%	90%	100%
6	कानपुर नगर		24812	60%	70%	80%	85%	90%	100%
7	झाँसी		11521	60%	70%	80%	85%	90%	100%
8	वाराणसी		22349	60%	70%	80%	85%	90%	100%
9	बलिया		16304	60%	70%	80%	85%	90%	100%
10	देवरिया		25752	60%	70%	80%	85%	90%	100%
11	संत कबीर नगर		21466	60%	70%	80%	85%	90%	100%
12	बाराबंकी		8619	60%	70%	80%	85%	90%	100%
13	गोण्डा		13995	60%	70%	80%	85%	90%	100%
14	श्रावस्ती		10737	60%	70%	80%	85%	90%	100%

* व्यक्तिगत कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि एवं जनपद स्तर पर निर्धारित अधिकतम उत्पादन लागत की धनराशि में से जो कम हो,को कृषक की प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत मानते हुए आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत में व्यय का आँकलन करते हुए कृषक को देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जायेगा।

फसल -बाजरा

क्र.सं.	जनपद	फसलकीबुवाईसेकटाईतककीसमयावधि	कुलअधिकतम*उत्पादन लागत (रू./हे.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में)देय होगी					
				बुवाई के बाद से आगामी 30 दिन तक	बुवाई के 30 दिन बाद से 40 दिन तक	बुवाई के 40 दिन बाद से 50 दिन तक	बुवाई के 50 दिन बाद से 75 दिन तक	बुवाई के 75 दिन बाद से फसलकीकटाईसेपूर्वतक	फसलकीकटाई केउपरान्तसेआगामी 14 दिनतक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आगरा	100 दिन	27235	60%	70%	75%	80%	90%	100%
2	फिरोजाबाद		29353	60%	70%	75%	80%	90%	100%
3	सम्भल		18697	60%	70%	75%	80%	90%	100%
4	औरैया		29281	60%	70%	75%	80%	90%	100%
5	कानपुर नगर		20687	60%	70%	75%	80%	90%	100%

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6	फतेहपुर		13139	60%	70%	75%	80%	90%	100%
7	कौशाम्बी		15018	60%	70%	75%	80%	90%	100%
8	प्रतापगढ़		10165	60%	70%	75%	80%	90%	100%

फसल -बाजरा									
क्र.सं.	जनपद	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम* उत्पादन लागत (रू./हे.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में)देय होगी					
				बुवाई के बाद से आगामी 30 दिन तक	बुवाई के 30 दिन बाद से 40 दिन तक	बुवाई के 40 दिन बाद से 50 दिन तक	बुवाई के 50 दिन बाद से 75 दिन तक	बुवाई के 75 दिन बाद से फसलकीकटाईसेपूर्वतक	फसलकीकटाई केउपरान्तसेआगामी 14 दिनतक
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
9	झाँसी	100 दिन	13344	60%	70%	75%	80%	90%	100%
10	बाँदा		13275	60%	70%	75%	80%	90%	100%
11	चित्रकूट		13137	60%	70%	75%	80%	90%	100%
12	वाराणसी		14442	60%	70%	75%	80%	90%	100%

* व्यक्तिगत कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि एवं जनपद स्तर पर निर्धारित अधिकतम उत्पादन लागत की धनराशि में से जो कम हो,को कृषक की प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत मानते हुए आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत में व्यय का आँकलन करते हुए कृषक को देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जायेगा।

फसल -ज्वार									
क्र.सं.	जनपद	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम* उत्पादन लागत (रू./हे.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में)देय होगी					
				बुवाई के बाद से आगामी 30 दिन तक	बुवाई के 30 दिन बाद से 40 दिन तक	बुवाई के 40 दिन बाद से 50 दिन तक	बुवाई के 50 दिन बाद से 75 दिन तक	बुवाई के 75 दिन बाद से फसलकीकटाईसेपूर्वतक	फसलकीकटाई केउपरान्तसेआगामी 14 दिनतक
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	कानपुरनगर	100 दिन	20387	60%	70%	75%	80%	90%	100%
2	फतेहपुर		21037	60%	70%	75%	80%	90%	100%
3	कौशाम्बी		20396	60%	70%	75%	80%	90%	100%
4	प्रतापगढ़		18335	60%	70%	75%	80%	90%	100%
5	झाँसी		17258	60%	70%	75%	80%	90%	100%
6	बाँदा		15003	60%	70%	75%	80%	90%	100%
7	चित्रकूट		14263	60%	70%	75%	80%	90%	100%
8	वाराणसी		17986	60%	70%	75%	80%	90%	100%
9	बाराबंकी		15886	60%	70%	75%	80%	90%	100%

* व्यक्तिगत कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि एवं जनपद स्तर पर निर्धारित अधिकतम उत्पादन लागत की धनराशि में से जो कम हो,को कृषक की प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत मानते हुए आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत में व्यय का आँकलन करते हुए कृषक को देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फसल -उर्द									
क्र.सं.	जनपद	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम* उत्पादन लागत (रू./हे.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में)देय होगी					
				बुवाई के बाद से आगामी 30 दिन तक	बुवाई के 30 दिन बाद से 40 दिन तक	बुवाई के 40 दिन बाद से 50 दिन तक	बुवाई के 50 दिन बाद से 75 दिन तक	बुवाई के 75 दिन बाद से फसलकीकटाईसेपूर्वतक	फसलकीकटाई केउपरान्तसेआगामी 14 दिनतक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बिजनौर	100 दिन	39659	70%	75%	80%	85%	90%	100%
2	सम्भल		41050	70%	75%	80%	85%	90%	100%
3	औरैया		35551	70%	75%	80%	85%	90%	100%
4	कानपुर नगर		24130	70%	75%	80%	85%	90%	100%
5	फतेहपुर		24262	70%	75%	80%	85%	90%	100%
6	कौशाम्बी		26167	70%	75%	80%	85%	90%	100%
7	प्रतापगढ़		28678	70%	75%	80%	85%	90%	100%
8	झाँसी		19675	70%	75%	80%	85%	90%	100%
9	बाँदा		14437	70%	75%	80%	85%	90%	100%
10	वाराणसी		29440	70%	75%	80%	85%	90%	100%
11	बाराबंकी		21817	70%	75%	80%	85%	90%	100%

* व्यक्तिगत कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि एवं जनपद स्तर पर निर्धारित अधिकतम उत्पादन लागत की धनराशि में से जो कम हो,को कृषक की प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत मानते हुए आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत में व्यय का आँकलन करते हुए कृषक को देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जायेगा।

फसल -मूँग									
क्र.सं.	जनपद	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम* उत्पादन लागत (रू./हे.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में)देय होगी					
				बुवाई के बाद से आगामी 30 दिन तक	बुवाई के 30 दिन बाद से 40 दिन तक	बुवाई के 40 दिन बाद से 50 दिन तक	बुवाई के 50 दिन बाद से 75 दिन तक	बुवाई के 75 दिन बाद से फसलकीकटाईसेपूर्वतक	फसलकीकटाई केउपरान्तसेआगामी 14 दिनतक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	फतेहपुर	100 दिन	18041	70%	75%	80%	85%	90%	100%
2	झाँसी		17061	70%	75%	80%	85%	90%	100%
3	बाँदा		15285	70%	75%	80%	85%	90%	100%

* व्यक्तिगत कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि एवं जनपद स्तर पर निर्धारित अधिकतम उत्पादन लागत की धनराशि में से जो कम हो,को कृषक की प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत मानते हुए आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत में व्यय का आँकलन करते हुए कृषक को देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जायेगा।

फसल -तिल				
क्र.सं.	जनपद	फसल की बुवाई से कटाई तक	कुल अधिकतम*	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में)देय होगी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		की समयावधि	उत्पादन लागत (रू./हे.)	बुवाई के बाद से आगामी 30 दिन तक	बुवाई के 30 दिन बाद से 40 दिन तक	बुवाई के 40 दिन बाद से 50 दिन तक	बुवाई के 50 दिन बाद से 75 दिन तक	बुवाई के 75 दिन बाद से फसलकीकटाईसेपूर्वतक	फसलकीकटाई केउपरान्तसेआगामी 14 दिनतक
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	फिरोजाबाद	100 दिन	9031	70%	75%	80%	85%	90%	100%
2	कानपुर नगर		8222	70%	75%	80%	85%	90%	100%
3	फतेहपुर		8057	70%	75%	80%	85%	90%	100%
4	कौशाम्बी		8770	70%	75%	80%	85%	90%	100%
5	झाँसी		12974	70%	75%	80%	85%	90%	100%
6	बाँदा		7865	70%	75%	80%	85%	90%	100%
7	चित्रकूट		6329	70%	75%	80%	85%	90%	100%

* व्यक्तिगत कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि एवं जनपद स्तर पर निर्धारित अधिकतम उत्पादन लागत की धनराशि में से जो कम हो,को कृषक की प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत मानते हुए आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत में व्यय का आँकलन करते हुए कृषक को देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जायेगा।

फसल -मूँगफली

क्र.सं.	जनपद	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम* उत्पादन लागत (रू./हे.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में)देय होगी					
				बुवाई के बाद से आगामी 40 दिन तक	बुवाई के 40 दिन बाद से 50 दिन तक	बुवाई के 50 दिन बाद से 65 दिन तक	बुवाई के 65 दिन बाद से 90 दिन तक	बुवाई के 90 दिन बाद से फसलकीखुदाईसेपूर्वतक	फसलकीखुदाई केउपरान्तसेआगामी 14 दिनतक
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	सहारनपुर	130 दिन	44820	65%	75%	80%	85%	90%	100%
2	बिजनौर		39746	65%	75%	80%	85%	90%	100%
3	झाँसी		36026	65%	75%	80%	85%	90%	100%
4	बाँदा		31253	65%	75%	80%	85%	90%	100%
5	देवरिया		44667	65%	75%	80%	85%	90%	100%

* व्यक्तिगत कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि एवं जनपद स्तर पर निर्धारित अधिकतम उत्पादन लागत की धनराशि में से जो कम हो,को कृषक की प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत मानते हुए आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत में व्यय का आँकलन करते हुए कृषक को देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जायेगा।

फसल -अरहर

क्र.सं.	जनपद	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम* उत्पादन लागत (रू./हे.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में)देय होगी					
				बुवाई के बाद से आगामी 30 दिन तक	बुवाई के 30 दिन बाद से 40 दिन तक	बुवाई के 40 दिन बाद से 80दिन तक	बुवाई के 80दिन बाद से 120दिन तक	बुवाई के 120दिन बाद से फसलकीकटाईसेपूर्वतक	फसलकीकटाई केउपरान्तसे आगामी 14 दिनतक
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	गौतमबुद्ध नगर		38989	55%	70%	75%	85%	90%	100%

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	कानपुर नगर	160 दिन	89864	55%	70%	75%	85%	90%	100%
3	फतेहपुर		40958	55%	70%	75%	85%	90%	100%
4	कौशाम्बी		45999	55%	70%	75%	85%	90%	100%
5	प्रतापगढ़		49976	55%	70%	75%	85%	90%	100%
6	बाँदा		41625	55%	70%	75%	85%	90%	100%
7	चित्रकूट		35771	55%	70%	75%	85%	90%	100%
8	वाराणसी		44829	55%	70%	75%	85%	90%	100%
9	बलिया		37139	55%	70%	75%	85%	90%	100%
10	देवरिया		31569	55%	70%	75%	85%	90%	100%
11	संत कबीर नगर		33974	55%	70%	75%	85%	90%	100%
12	बाराबंकी		43904	55%	70%	75%	85%	90%	100%
13	श्रावस्ती		26997	55%	70%	75%	85%	90%	100%

* व्यक्तिगत कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि एवं जनपद स्तर पर निर्धारित अधिकतम उत्पादन लागत की धनराशि में से जो कम हो,को कृषक की प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत मानते हुए आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत में व्यय का आँकलन करते हुए कृषक को देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जायेगा।

फसल -सोयाबीन

क्र.सं.	जनपद	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम* उत्पादन लागत (रू./हे.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में)देय होगी					
				बुवाई के बाद से आगामी 30 दिन तक	बुवाई के 30 दिन बाद से 40 दिन तक	बुवाई के 40 दिन बाद से 50 दिन तक	बुवाई के 50 दिन बाद से 75 दिन तक	बुवाई के 75 दिन बाद से फसल की कटाई से पूर्व तक	फसल की कटाई के उपरान्त से आगामी 14 दिन तक
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	झाँसी	100 दिन	23490	65%	75%	80%	85%	90%	100%

* व्यक्तिगत कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि एवं जनपद स्तर पर निर्धारित अधिकतम उत्पादन लागत की धनराशि में से जो कम हो,को कृषक की प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत मानते हुए आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत में व्यय का आँकलन करते हुए कृषक को देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जायेगा।

परिशिष्ट - 8

वर्ष 2017-18 व 2018-19 के रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत स्थानिक आपदाओं – ओला, भूस्खलन व जलप्लावन के जोखिमों अथवा फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों की अवधि में खेत में कटी हुई फसलों को बेमौसम/चक्रवाती वर्षा, चक्रवात के जोखिमों से क्षति की स्थिति में फसल के उत्पादन लागत में व्यय के अनुरूप क्षति के आँकलन हेतु निर्धारित तालिका –

फसल -गेहूँ

क्र.सं.	जनपद	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम* उत्पादन लागत (रू./हे.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में)देय होगी					
				बुवाई के बाद से आगामी 30दिन तक	बुवाई के 30दिन बाद से 45दिन तक	बुवाई के 45दिन बाद से 65 दिन तक	बुवाई के 65 दिन बाद से 90 दिन तक	बुवाई के 90 दिन बाद से फसलकीकटाईसेपूर्वतक	फसलकीकटाई केउपरान्तसेआगामी 14 दिनतक
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	सहारनपुर	130दिन	52409	60%	70%	75%	85%	90%	100%

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2	मुजफ्फरनगर		57474	60%	70%	75%	85%	90%	100%
3	बागपत		66915	60%	70%	75%	85%	90%	100%
4	गौतम बुद्ध नगर		60116	60%	70%	75%	85%	90%	100%
5	हापुड		70761	60%	70%	75%	85%	90%	100%
6	आगरा		57490	60%	70%	75%	85%	90%	100%
7	फिरोजाबाद		57286	60%	70%	75%	85%	90%	100%
8	बिजनौर		50296	60%	70%	75%	85%	90%	100%
9	सम्भल		52654	60%	70%	75%	85%	90%	100%
10	औरैया		56903	60%	70%	75%	85%	90%	100%
11	कानपुर नगर		51587	60%	70%	75%	85%	90%	100%
12	फतेहपुर		49307	60%	70%	75%	85%	90%	100%
13	कौशाम्बी		41693	60%	70%	75%	85%	90%	100%
14	प्रतापगढ़		43032	60%	70%	75%	85%	90%	100%
15	झाँसी		40825	60%	70%	75%	85%	90%	100%
16	बाँदा		29436	60%	70%	75%	85%	90%	100%
17	चित्रकूट		31072	60%	70%	75%	85%	90%	100%
18	वाराणसी		44945	60%	70%	75%	85%	90%	100%
19	बलिया		46976	60%	70%	75%	85%	90%	100%
20	देवरिया		46120	60%	70%	75%	85%	90%	100%
21	संत कबीर नगर		45897	60%	70%	75%	85%	90%	100%
22	बाराबंकी		53690	60%	70%	75%	85%	90%	100%
23	अमेठी		43394	60%	70%	75%	85%	90%	100%
24	गोण्डा		46951	60%	70%	75%	85%	90%	100%
25	श्रावस्ती		52027	60%	70%	75%	85%	90%	100%

* व्यक्तिगत कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि एवं जनपद स्तर पर निर्धारित अधिकतम उत्पादन लागत की धनराशि में से जो कम हो,को कृषक की प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत मानते हुए आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत में व्यय का आँकलन करते हुए कृषक को देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जायेगा।

फसल - चना

क्र.सं.	जनपद	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम* उत्पादन लागत (रू./हे.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में)देय होगी					
				बुवाई के बाद से आगामी 30 दिन तक	बुवाई के 30 दिन बाद से 45 दिन तक	बुवाई के 45 दिन बाद से 65 दिन तक	बुवाई के 65 दिन बाद से 90 दिन तक	बुवाई के 90 दिन बाद से फसलकीकटाईसेपूर्वतक	फसलकीकटाईकेउपरान्तसेआगामी 14 दिनतक
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	आगरा	130दिन	52027	70%	75%	80%	85%	90%	100%
2	औरैया		51392	70%	75%	80%	85%	90%	100%
3	कानपुर नगर		43309	70%	75%	80%	85%	90%	100%
4	फतेहपुर		37387	70%	75%	80%	85%	90%	100%
5	कौशाम्बी		36947	70%	75%	80%	85%	90%	100%

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6	प्रतापगढ़		33315	70%	75%	80%	85%	90%	100%
7	झाँसी		35210	70%	75%	80%	85%	90%	100%
8	बाँदा		25824	70%	75%	80%	85%	90%	100%
9	चित्रकूट		26215	70%	75%	80%	85%	90%	100%
10	वाराणसी		39878	70%	75%	80%	85%	90%	100%
11	बलिया		43239	70%	75%	80%	85%	90%	100%

* व्यक्तिगत कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि एवं जनपद स्तर पर निर्धारित अधिकतम उत्पादन लागत की धनराशि में से जो कम हो,को कृषक की प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत मानते हुए आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत में व्यय का आँकलन करते हुए कृषक को देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जायेगा।

फसल - मटर

क्र.सं.	जनपद	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम*उत्पादन लागत (रू./हे.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में)देय होगी					
				बुवाई के बाद से आगामी 30 दिन तक	बुवाई के 30 दिन बाद से 45 दिन तक	बुवाई के 45 दिन बाद से 65 दिन तक	बुवाई के 65 दिन बाद से 90 दिन तक	बुवाई के 90 दिन बाद से फसलकीकटाईसेपूर्वतक	फसलकीकटाईकेउपरान्तसेआगामी 14 दिनतक
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	कानपुर नगर	130दिन	52393	70%	75%	80%	85%	90%	100%
2	फतेहपुर		33527	70%	75%	80%	85%	90%	100%
3	कौशाम्बी		33527	70%	75%	80%	85%	90%	100%
4	प्रतापगढ़		33527	70%	75%	80%	85%	90%	100%
5	झाँसी		52506	70%	75%	80%	85%	90%	100%
6	बाँदा		26192	70%	75%	80%	85%	90%	100%
7	चित्रकूट		25260	70%	75%	80%	85%	90%	100%
8	वाराणसी		39711	70%	75%	80%	85%	90%	100%
9	बलिया		37532	70%	75%	80%	85%	90%	100%
10	संत कबीर नगर		39902	70%	75%	80%	85%	90%	100%

* व्यक्तिगत कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि एवं जनपद स्तर पर निर्धारित अधिकतम उत्पादन लागत की धनराशि में से जो कम हो,को कृषक की प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत मानते हुए आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत में व्यय का आँकलन करते हुए कृषक को देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जायेगा।

फसल - मसूर

क्र.सं.	जनपद	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम*उत्पादन लागत (रू./हे.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में)देय होगी					
				बुवाई के बाद से आगामी 30	बुवाई के 30 दिन बाद	बुवाई के 45 दिन बाद	बुवाई के 65 दिन बाद	बुवाई के 90 दिन बाद से फसलकीकटाईसेपूर्वतक	फसलकीकटाईकेउपरान्तसेआगामी 14 दिनतक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

				दिन तक	से 45 दिन तक	से 65 दिन तक	से 90 दिन तक		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	सहारनपुर	130दिन	27297	70%	75%	80%	85%	90%	100%
2	बिजनौर		36388	70%	75%	80%	85%	90%	100%
3	कानपुर नगर		34205	70%	75%	80%	85%	90%	100%
4	फतेहपुर		27049	70%	75%	80%	85%	90%	100%
5	झाँसी		28336	70%	75%	80%	85%	90%	100%
6	बाँदा		21665	70%	75%	80%	85%	90%	100%
7	चित्रकूट		18678	70%	75%	80%	85%	90%	100%
8	वाराणसी		33682	70%	75%	80%	85%	90%	100%
9	बलिया		45425	70%	75%	80%	85%	90%	100%
10	बाराबंकी		28963	70%	75%	80%	85%	90%	100%
11	गोण्डा		32285	70%	75%	80%	85%	90%	100%
12	श्रावस्ती		28699	70%	75%	80%	85%	90%	100%

* व्यक्तिगत कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि एवं जनपद स्तर पर निर्धारित अधिकतम उत्पादन लागत की धनराशि में से जो कम हो,को कृषक की प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत मानते हुए आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत में व्यय का आँकलन करते हुए कृषक को देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जायेगा

फसल - लाही-सरसों

क्र.सं.	जनपद	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम*उत्पादन लागत (रू./हे.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में)देय होगी					
				बुवाई के बाद से आगामी 30 दिन तक	बुवाई के 30 दिन बाद से 40 दिन तक	बुवाई के 40 दिन बाद से 50दिन तक	बुवाई के 50दिन बाद से 75दिन तक	बुवाई के 75दिन बाद से फसलकीकटाईसेपूर्वतक	फसलकीकटाईकेउपरान्तसेआगामी 14 दिनतक
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	मुजफ्फरनगर	100दिन	38299	60%	70%	80%	85%	90%	100%
2	बागपत		45098	60%	70%	80%	85%	90%	100%
3	हापुड़		49248	60%	70%	80%	85%	90%	100%
4	आगरा		56715	60%	70%	80%	85%	90%	100%
5	फिरोजाबाद		53326	60%	70%	80%	85%	90%	100%
6	बिजनौर		41683	60%	70%	80%	85%	90%	100%
7	सम्भल		47304	60%	70%	80%	85%	90%	100%
8	औरैया		50451	60%	70%	80%	85%	90%	100%
9	कानपुर नगर		42089	60%	70%	80%	85%	90%	100%
10	फतेहपुर		31392	60%	70%	80%	85%	90%	100%
11	कौशाम्बी		32822	60%	70%	80%	85%	90%	100%
12	झाँसी		22767	60%	70%	80%	85%	90%	100%
13	बाँदा		18093	60%	70%	80%	85%	90%	100%
14	चित्रकूट		16740	60%	70%	80%	85%	90%	100%

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15	संत कबीर नगर		50464	60%	70%	80%	85%	90%	100%
16	बाराबंकी		26141	60%	70%	80%	85%	90%	100%
17	गोण्डा		28862	60%	70%	80%	85%	90%	100%
18	श्रावस्ती		22726	60%	70%	80%	85%	90%	100%

* व्यक्तिगत कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि एवं जनपद स्तर पर निर्धारित अधिकतम उत्पादन लागत की धनराशि में से जो कम हो,को कृषक की प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत मानते हुए आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत में व्यय का आँकलन करते हुए कृषक को देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जायेगा।

फसल - आलू

क्र.सं.	जनपद	फसल की बुवाई से कटाई तक की समयावधि	कुल अधिकतम*उत्पादन लागत (रू./हे.)	फसल की बुवाई से कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन तक उत्पादन लागत में व्यय की स्थिति (कॉलम-4 में दर्शायी गयी कुल उत्पादन लागत/कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, जो कम हो, के प्रतिशत के रूप में)देय होगी					
				बुवाई के बाद से आगामी 30 दिन तक	बुवाई के 30 दिन बाद से 40 दिन तक	बुवाई के 40 दिन बाद से 50 दिन तक	बुवाई के 50 दिन बाद से 75 दिन तक	बुवाई के 75 दिन बाद से फसलकीखुदाईसेपूर्वतक	फसलकीखुदाईकेउपरान्तसेआगामी 14 दिनतक
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	मुजफ्फरनगर	100दिन	84147	60%	70%	80%	85%	90%	100%
2	हापुड		106661	60%	70%	80%	85%	90%	100%
3	आगरा		105499	60%	70%	80%	85%	90%	100%
4	फिरोजाबाद		113398	60%	70%	80%	85%	90%	100%
5	बिजनौर		97780	60%	70%	80%	85%	90%	100%
6	सम्भल		95544	60%	70%	80%	85%	90%	100%
7	औरैया		122390	60%	70%	80%	85%	90%	100%
8	कानपुर नगर		76233	60%	70%	80%	85%	90%	100%
9	फतेहपुर		87909	60%	70%	80%	85%	90%	100%
10	कौशाम्बी		69954	60%	70%	80%	85%	90%	100%
11	प्रतापगढ़		72626	60%	70%	80%	85%	90%	100%
12	वाराणसी		78193	60%	70%	80%	85%	90%	100%
13	बलिया		88364	60%	70%	80%	85%	90%	100%
14	संत कबीर नगर		97539	60%	70%	80%	85%	90%	100%
15	बाराबंकी		81848	60%	70%	80%	85%	90%	100%

* व्यक्तिगत कृषक की प्रति हेक्टेयर बीमित राशि एवं जनपद स्तर पर निर्धारित अधिकतम उत्पादन लागत की धनराशि में से जो कम हो,को कृषक की प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत मानते हुए आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत में व्यय का आँकलन करते हुए कृषक को देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।